प्राधिकरण बोर्ड की 158वीं बैठक हेतु विचारणीय बिन्दुओं की सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

तिथि :- 19 अगस्त, 2016

समय :- पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की 158वीं बैठक दिनांक 19.08.2016 में विचारणीय विषयों की कार्यसूची

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.06.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.06.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	11
03.	उ0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के अन्तर्गत मे0 ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 28.11.2015 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (25.00 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के अनुरूप प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	22
04.	हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मे0 अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित विन्यास मानचित्र पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 04.08.2016 पर विचार।	24
05.	मे0 अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 की हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के पंचम चरण (क्षेत्रफल 958.85 एकड़) के संशोधित विन्यास मानचित्र पर विचार।	25
06.	खसरा संख्या-1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम-औरंगाबाद जागीर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ का भू-उपयोग ग्रीन (पी-1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	27
07.	उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।	33
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 जून, 2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाक 21 जून, 2016 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 157वीं बैठक दिनांक 21 जून, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री सदाकान्त	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
05.	श्री लोरिक यादव	निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल।
06.	श्री सी0डी0एस0 यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।
07.	श्री आर0पी0 यादव	क्षे0पर्य0अधि0, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
08.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
09.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थितिः—

10.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा	सचिव, ल0वि0प्रा0।
11.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री एन0एन0 सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0
13.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
15.	हरीकृष्ण यादव	मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अवगत कराया गया कि प्राप्त एक आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि जिन प्रकरणों में पूर्व मे निर्णय लिया जाता है, उनका समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विषय संख्या : 3 उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 21.03.2016 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (80 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 26.04.2016 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा 80 एकड़ क्षेत्रफल पर (ग्राम–बेली व शिवलर, जनपद–लखनऊ) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डी0पी0आर0 पर समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 4 खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी–1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : पूर्व में यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। पुनः प्रस्ताव बिना परीक्षण के बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाय, जिसमें मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 (सदस्य) एवं

मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 (संयोजक सदस्य) होंगे। गठित समिति समस्त तथ्यों का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी एवं समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुविचारित प्रस्ताव यथा–समय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

<u>विषय संख्या : 5</u>

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत नजूल भूमि, जिसका अर्जन राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण लिया गया था, के प्रभावित काश्तकारों को योजना के क्रियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत जिस समय भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी, उस समय भूमि काश्तकारों के नाम भूमिधरी के रूप में अंकित थी। बाद में तथ्यों की जानकारी होने पर कलेक्टर तथा सक्षम अधिकारियों के द्वारा इस भूमि को नजूल भूमि घोषित किया गया। चूंकि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है, इसलिए इसका मुआवजा किसी व्यक्ति या किसान को नहीं दिया जा सकता, लेकिन correction of revenue record के समय यह संज्ञान में आया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमिधरी मानते हुए की गई। यह तथ्य बाद में प्रकाश में आया इसलिए यह राजस्व अधिनियम के तहत तकनीकी विषय है, चूंकि अब यह स्थापित हो गया है कि यह भूमि नजूल है, इसलिए मुआवजे के रूप में धनराशि नियमानुसार किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अतः जब तक यह विवाद बना हुआ है और सक्षम स्तर से इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यह व्यवहारिक होगा कि सहमति के आधार पर सैद्धान्तिक रूप से किसानों को Ex-gratia amount दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा। इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण और किसानों के आपसी समझौते के आधार पर Ex-gratia amount का निर्धारण किये जाने तथा व्यावहारिक समाधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्या : 6</u>

श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर (सेवानिवृत्त) के अर्जन अनुभाग में संविदा के आधार पर सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त सेवानिवृत्त श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर को अर्जन अनुभाग में संविदा–कर्मी के रूप में 01 वर्ष हेतु सेवा में लिये जाने (Extended for one year only) प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>विषय संख्या : 7</u>	उजरियांव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या–90 स्थित ग्राम–भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 विकसित भूखण्ड आवंटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त उजरियांव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या–90 स्थित ग्राम–भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 विकसित भूखण्ड समायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियो के दृष्टिगत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि किसी अन्य प्रकरण में इसे भविष्य के लिए दृष्टांत न बनाया जाय।
<u>विषय संख्या : 8</u>	श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय कुल धनराशि रू0 9,43,096/– (नौ लाख तैतालिस हजार छियान्नबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
<u>विषय संख्या : 9</u>	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन की घोषणा कर बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 को लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	लखनऊ–फैजाबाद रोड, गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का भवन वर्तमान में निर्मित हो चुका है और वर्तमान में कैसरबाग स्थित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को विभूति खण्ड स्थित नवीन भवन में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही चल रही है। मा0 उच्च न्यायालय के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 1,61,921 वर्गमीटर (40 एकड़) भूमि दिनांक 31.08.1993 को आवंटित की गई थी। भवन का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक

13.09.2013 को स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा वर्ष 2016 में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 15.04.2016 को लोकार्पण भी किया जा चुका है। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय हेतु भूमि आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक लम्बी प्रक्रिया रही है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्माण के पश्चात् अब यह विषय आया है कि मा0 उच्च न्यायालय अत्यन्त संवेदनशील स्थान है, इसके लिए एक यथा–सम्भव सुरक्षा परिधि हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को देखते हुए मा0 उच्च न्यायालय परिसर के आस–पास निकट क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा परिधि (High Security Zone) घोषित किया जा सकता है।

चूंकि गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत यह भवन स्थापित हुआ और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना वर्ष 1980 में प्रारम्भ हो गई थी एवं वर्ष 1982 में आवासीय भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण खोले गये तथा संस्थागत एवं व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु नियमानुसार विज्ञापन वर्ष 1985 में जनता के लिए खोले गए थे और वर्तमान में भी नियमानुसार आवंटन प्रकिया चल रही है। विभूति खण्ड जहाँ मा0 उच्च न्यायालय हेतु नवीन भवन निर्मित किया गया है, के साथ–साथ आस–पास के क्षेत्रों का भी विकास मास्टर प्लान–2021 एवं जोनल प्लान के अनुसार विकास कार्य पूर्व से ही गतिमान है और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से आस–पास के भूखण्डों का आवंटन भी नीलामी के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं एवं अन्य एकल व्यक्तियों को किया जा चुका है तथा नियमानुसार निबन्धनोपरान्त आवंटियों द्वारा भवन निर्माण आदि की कार्यवाही भी कराई जा चुकी है। इस प्रकार जहां एक तरफ मा0 उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही समानान्तर रूप से विभूति खण्ड में आवंटित भूखण्डों के विकास की प्रक्रिया भी नियमानुसार गतिमान थी। जहां बहुत से भूखण्डों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कतिपय भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। ऐसी अवस्था में मा0 उच्च न्यायालय के भवन परिसर बाउंड्रीवाल से 100 मी0 के

क्षेत्र को सैद्धान्तिक रूप से हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों में कुछ शिथिलता देने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के भवन से 100 मी0 की परिधि तक हाई–सिक्योरिटी जोन की परिकल्पना करते हुए निर्णय विचाराधीन है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय को आपत्ति है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मा0 उच्च न्यायालय की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय कि सुरक्षा सर्वोपरि है। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं है। अतः भवन की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित करने और उसके लिए क्या–क्या नियम व शर्तें होंगी, इसके लिए प्रमुख सचिव–गृह की अध्यक्षता में डी0जी0 पुलिस, प्रमुख सचिव–न्याय एवं रजिस्ट्रार जनरल–हाईकोर्ट की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर निर्णय लिये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से अनुरोध करें। गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो निर्णय राज्य सरकार के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए हम दृढ़–संकल्प है। तदानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

<u>विषय संख्या: 10</u>

लखनऊ–हरदोई रोड पर प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना की लगभग 60.243 हे0 भूमि "सामुदायिक सुविधाएं" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की हरदोई रोड, बसंतकुंज योजना के अन्तर्गत ग्राम–बरीकला के 45.235 हे0 एवं बरावन खुर्द की 15.009 हे0 कुल 60.243 हे0 जिला–लखनऊ की भूमि को "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें" से "आवासीय" भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्याः 11</u>

आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा संख्या–201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू–उपयोग 'आवासीय' से 'सामुदायिक सुविधायें' उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2013 को हुई बैठक के आधार पर संशोधित प्रस्ताव।

<u>निर्णय :</u>

प्रश्नगत प्रस्ताव इस क्षेत्र के भू–उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित है, किसी डेन्टल कालेज या निजी संस्थान के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए डेन्टल कालेज अथवा उसके आसपास स्थित निर्माणों के बिन्दु के परीक्षण का यह अवसर नहीं है। जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन का विषय विचारणीय है। अतः जनता की सुविधाओं को देखते हुए व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्याः 12</u>

55, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ (रायल गार्डेन) की भूमि लगभग 8750 वर्गमी0 लखनऊ महायोजना–2021 के अनुमन्य प्राविधानों में बाजार स्ट्रीट/कार्यालय उपयोग से आवासीय (समूह आवासीय) भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रश्नगत प्रस्ताव में गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति की संस्तुति स्वीकार करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्याः 13</u>

लखनऊ महायोजना 2031 की संरचना के सन्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिए गए कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अन्तर्गत एक माह की समयावधि निर्धारित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाय। इस हेतु प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

<u>विषय संख्याः 14</u>

शासन के पत्र संख्या–462/8–3–16–34विविध/08 दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्राप्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में प्रस्तावित संशोधनों का अंगीकरण।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः 15 भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त शासन की नियमावली–2010 को अंगीकृत करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्याः 16 उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार।

निर्णय : बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्याः 17 "सहारा स्टेट" जानकीपुरम् के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : पूर्व में प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों और प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया जाय और लखनऊ विकास प्राधिकरण सुसंगत नियमों के अनुसार इसमें मेरिट के आधार पर कार्यवाही करें। सैद्धान्तिक रूप से आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

विषय संख्याः 18 खसरा संख्या–242, ग्राम–मकदूमपुर के सन्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट संख्या–67/एलए/2010 में 106 वर्गमी0 भूमि पर पारित स्थगनादेश तथा शासनादेश संख्या–346/8–3–16–38एलए/13 दिनांक 06.06.2016 के क्रम में नये भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–24(2) के अन्तर्गत निराकरण हेतु शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : बोर्ड के समक्ष यह विवाद का विषय लाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसका स्वयं समाधान करना चाहिए था। भूमि अधिग्रहण के समय स्थलीय परीक्षण न किये जाने के कारण सम्भवतः यह विवाद उत्पन्न हुआ है। किसानों द्वारा मुआवजा भी नहीं लिया गया है और उनके द्वारा भूमि अर्जन–मुक्त कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है एवं मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित भी रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर 32 से अधिक आवंटियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें से 11 आवंटियों द्वारा भूखण्डों का निबन्धन भी कराया जा

चुका है तथा शेष आवंटियों द्वारा पूरा पैसा भी जमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को समाधान करना होगा कि जिन भूखण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है, उनके लिये क्या विकल्प है। इसलिए यह भूमि अधिग्रहण से छूट का प्रकरण न होकर मूलरूप से विवाद का विषय है और इसका समाधान लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही सम्भव है। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया जाय, जो किसानों तथा आवंटियों से वार्ता कर व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तत्पश्चात् समिति की रिपोर्ट अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। फिर भी यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगता है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, तो प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय

<u>विषय संख्या: 19</u>

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत भू–स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है।

<u>विषय संख्या: 20</u>

भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन से उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013" के अन्तर्गत प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–1 व 2 के किसानों द्वारा वर्तमान सर्किल रेट के 4 गुना की दर से प्रतिकर की मांग दृष्टिगत लैण्ड पूलिंग पद्धति से किसानों की सहभागिता के आधार पर योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग के सम्बन्ध में नवीन शासनादेश निर्गत किया जा चुका है, जिसके प्रकाश में कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं सक्षम है। अतः सैद्धान्तिक रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

<u>विषय संख्या: 21</u>

दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त आडिट आपत्तियों के निराकरण के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 22 उ0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 28.11.2015 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (25.00 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के अनुरूप प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्प्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(सदाकान्त) 25/6/16.
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः—लखनऊ विकास प्राधिकरण की 157वीं बैठक दिनांक 21 जून, 2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अवगत कराया गया कि प्राप्त एक आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि जिन प्रकरणों में पूर्व नें निर्णय लिया जाता है, उनका समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 3	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति—2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 21.03.2016 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (80 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 26.04.2016 को स्वीकृत करने के सन्बन्ध में विचार।
निर्णय :	मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा 80 एकड़ क्षेत्रफल पर (ग्राम—बेली व शिवलर, जनपद—लखनऊ) मे प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डी0पी0आर0 पर समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विकासकर्ता का डी0पी0आर0 निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है। विकासकर्ता द्वारा नगरीय विकास शुल्क की प्रथम किश्त रूपये 253.00 लाख प्राधिकरण में जमा करा दिया गया है।
विषय संख्या : 4	खसरा संख्या—1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम—औरंगाबाद जागीर, तहसील—सरोजनीनगर, जिला—लखनऊ का

भू–उपयोग ग्रीन (पी–1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

पूर्व में यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। पुनः प्रस्ताव बिना परीक्षण के बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाय, जिसमें मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 (सदस्य) एवं मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 (संयोजक सदस्य) होंगे। गठित समिति समस्त तथ्यों का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी एवं समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुविचारित प्रस्ताव यथा–समय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनाक 30.07.2016 को सम्पन्न हुई। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

<u>विषय संख्या : 5</u>

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत नजूल भूमि, जिसका अर्जन राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण लिया गया था, के प्रभावित काश्तकारों को योजना के क्रियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत जिस समय भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी, उस समय भूमि काश्तकारों के नाम भूमिधरी के रूप में अंकित थी। बाद में तथ्यों की जानकारी होने पर कलेक्टर तथा सक्षम अधिकारियों के द्वारा इस भूमि को नजूल भूमि घोषित किया गया। चूंकि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है, इसलिए इसका मुआवजा किसी व्यक्ति या किसान को नहीं दिया जा सकता, लेकिन correction of revenue record के समय यह संज्ञान में आया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमिधरी मानते हुए की गई। यह तथ्य बाद में प्रकाश में आया इसलिए यह राजस्व अधिनियम के तहत तकनीकी विषय है, चूंकि अब यह स्थापित हो गया है कि यह भूमि नजूल है, इसलिए मुआवजे के रूप में धनराशि नियमानुसार किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अतः जब तक यह विवाद बना हुआ है और सक्षम स्तर से इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यह व्यवहारिक होगा कि सहमति के आधार पर सैद्धान्तिक रूप से किसानों को Ex-gratia amount दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा। इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ, लखनऊ विकास

प्राधिकरण और किसानों के आपसी समझौते के आधार पर Ex-gratia amount का निर्धारण किये जाने तथा व्यावहारिक समाधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) के प्रतिकर के निर्धारण एवं गणना कराये जाने हेतु विभागीय पत्र सं0–581/ए0सी0/तह0 दिनांक 20.07.2016 को जिलाधिकारी लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्या : 6 श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर (सेवानिवृत्त) को अर्जन अनुभाग में संविदा के आधार पर सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त सेवानिवृत्त श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर को अर्जन अनुभाग में संविदा–कर्मी के रूप में 01 वर्ष हेतु सेवा में लिये जाने (Extended for one year only) प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सेवानिवृत्त श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर को संविदाकर्मी के रूप में एक वर्ष के लिए नियुक्त कर लिया गया है। दिनांक 01.07.2016 को श्री सज्जाद अली द्वारा अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है।

विषय संख्या : 7 उजरियांव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या–90 स्थित ग्राम–भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 विकसित भूखण्ड आवंटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त उजरियांव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या–90 स्थित ग्राम–भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 विकसित भूखण्ड समायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियो के दृष्टिगत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि किसी अन्य प्रकरण में इसे भविष्य के लिए दृष्टांत न बनाया जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्री प्रेमसिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 का भूखण्ड आवंटित/

समायोजित किये जाने हेतु सम्पत्ति विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 8	श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय कुल धनराशि रू0 9,43,096/– (नौ लाख तैतालिस हजार छियान्नबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये के क्रम में प्रतिपूर्ति/भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 9	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन की घोषणा कर बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 को लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	लखनऊ–फैजाबाद रोड, गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का भवन वर्तमान में निर्मित हो चुका है और वर्तमान में कैसरबाग स्थित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को विभूति खण्ड स्थित नवीन भवन में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही चल रही है। मा0 उच्च न्यायालय के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 1,61,921 वर्गमीटर (40 एकड़) भूमि दिनांक 31.08.1993 को आवंटित की गई थी। भवन का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.09.2013 को स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा वर्ष 2016 में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 15.04.2016 को लोकार्पण भी किया जा चुका है। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय हेतु भूमि आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक लम्बी प्रक्रिया रही है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्माण के पश्चात् अब यह विषय आया है कि मा0 उच्च न्यायालय अत्यन्त संवेदनशील स्थान है, इसके लिए एक यथा–सम्भव सुरक्षा परिधि हाई–सिक्योरिटी जोन

घोषित किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को देखते हुए मा0 उच्च न्यायालय परिसर के आस–पास निकट क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा परिधि (High Security Zone) घोषित किया जा सकता है।

चूंकि गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत यह भवन स्थापित हुआ और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना वर्ष 1980 में प्रारम्भ हो गई थी एवं वर्ष 1982 में आवासीय भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण खोले गये तथा संस्थागत एवं व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु नियमानुसार विज्ञापन वर्ष 1985 में जनता के लिए खोले गए थे और वर्तमान में भी नियमानुसार आवंटन प्रकिया चल रही है। विभूति खण्ड जहाँ मा0 उच्च न्यायालय हेतु नवीन भवन निर्मित किया गया है, के साथ–साथ आस–पास के क्षेत्रों का भी विकास मास्टर प्लान–2021 एवं जोनल प्लान के अनुसार विकास कार्य पूर्व से ही गतिमान है और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से आस–पास के भूखण्डों का आवंटन भी नीलामी के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं एवं अन्य एकल व्यक्तियों को किया जा चुका है तथा नियमानुसार निबन्धनोपरान्त आवंटियों द्वारा भवन निर्माण आदि की कार्यवाही भी कराई जा चुकी है। इस प्रकार जहां एक तरफ मा0 उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही समानान्तर रूप से विभूति खण्ड में आवंटित भूखण्डों के विकास की प्रक्रिया भी नियमानुसार गतिमान थी। जहां बहुत से भूखण्डों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कतिपय भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर है। ऐसी अवस्था में मा0 उच्च न्यायालय के भवन परिसर बाउंड्रीवाल से 100 मी0 के क्षेत्र को सैद्धान्तिक रूप से हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों में कुछ शिथिलता देने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के भवन से 100 मी0 की परिधि तक हाई–सिक्योरिटी जोन की परिकल्पना करते हुए निर्णय विचाराधीन है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय को आपत्ति है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मा0 उच्च न्यायालय की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। लखनऊ विकास

प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय कि सुरक्षा सर्वोपरि है। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं है। अतः भवन की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित करने और उनके लिए क्या–क्या नियम व शर्तें होंगी, इसके लिए प्रमुख सचिव–गृह की अध्यक्षता में डी0जी0 पुलिस, प्रमुख सचिव–न्याय एवं रजिस्ट्रार जनरल–हाईकोर्ट की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर निर्णय लिये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से अनुरोध करें। गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो निर्णय राज्य सरकार के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए हम दृढ़–संकल्प है। तदानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

अनुपालन : विभागीय पत्र सं0–570 / उपा0 / मु0न0नि0 / 2016 दिनांक 28.07.2016 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को आख्या प्रेषित की गयी।

विषय संख्याः 10 लखनऊ–हरदोई रोड पर प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना की लगभग 60.243 हे0 भूमि "सामुदायिक सुविधायें" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की हरदोई रोड, बसंतकुंज योजना के अन्तर्गत ग्राम–बरीकला के 45.235 हे0 एवं बरावन खुर्द की 15.009 हे0 कुल 60.243 हे0 जिला–लखनऊ की भूमि को "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें" से "आवासीय" भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार शासन को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। इस भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन को अनुमोदन की प्रत्याशा में आवासीय उपयोग की कालोनी के विकास हेतु भूखण्डों को सृजित कर प्राधिकरण में विवादित प्रकरणों के समायोजन हेतु समाधानपुरम् के नाम पर विकास करने हेतु तलपट मानचित्र तैयार कर इसके टेन्टेटिव अनुमोदन प्राप्त कर

योजना के विकास हेतु अभियन्त्रण अनुभाग को प्रेषित किया गया है।

विषय संख्याः 11 आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा संख्या–201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू–उपयोग 'आवासीय' से 'सामुदायिक सुविधायें' उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2013 को हुई बैठक के आधार पर संशोधित प्रस्ताव।

निर्णय : प्रश्नगत प्रस्ताव इस क्षेत्र के भू–उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित है, किसी डेन्टल कालेज या निजी संस्थान के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए डेन्टल कालेज अथवा उसके आसपास स्थित निर्माणों के बिन्दु के परीक्षण का यह अवसर नहीं है। जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन का विषय विचारणीय है। अतः जनता की सुविधाओं को देखते हुए व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग आवासीय से सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिताएँ एवं सेवायें (डेन्टल कालेज) में परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में शासन को पत्र सं0–188/ए0ए0/एम0 दिनांक 03.08.2016 प्रेषित कर दिया गया है।

विषय संख्याः 12 55, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ (रायल गार्डेन) की भूमि लगभग 8750 वर्गमी0 लखनऊ महायोजना–2021 के अनुमन्य प्राविधानों में बाजार स्ट्रीट/कार्यालय उपयोग से आवासीय (समूह आवासीय) भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रश्नगत प्रस्ताव में गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति की संस्तुति स्वीकार करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेत्र कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र सं0–571/उपा0/मु0न0नि0/2016 दिनांक 28.07.2016 प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया।

विषय संख्याः 13 लखनऊ महायोजना 2031 की संरचना के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लखनऊ महायोजना–2031

	(प्रारूप) अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिए गए कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अन्तर्गत एक माह की समयावधि निर्धारित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाय। इस हेतु प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जन–साधारण से आपत्तियों के आमंत्रण के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2016 से दिनांक 01.08.2016 तक महायोजना प्रदर्शित करने की कार्यवाही की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों का परीक्षण किया जाना है।
<u>विषय संख्या: 14</u>	शासन के पत्र संख्या–462/8–3–16–34विविध/08 दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्राप्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में प्रस्तावित संशोधनों का अंगीकरण।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011) को अंगीकृत कर लिया गया है।
<u>विषय संख्या: 15</u>	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त शासन की नियमावली–2010 को अंगीकृत करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
<u>विषय संख्या: 16</u>	उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार।
<u>निर्णय :</u>	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु

प्राप्त आवेदनों पर जनसाधारण से आपत्ति/सुझाव हेतु दिनांक 07.06.2016 एवं दिनांक 03.07.2016 को समाचार पत्रों नें प्रकाशन कराया गया है, जिस पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ है। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए नीतिगत निर्णय हेतु संस्तुति तैयार करते हुए प्रत्येक आवेदन का स्थलीय परीक्षण कराने की कार्यवाही की जा रही है।

<u>विषय संख्याः 17</u>

"सहारा स्टेट" जानकीपुरम् के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

पूर्व में प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों और प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया जाय और लखनऊ विकास प्राधिकरण सुसंगत नियमों के अनुसार इसमें मेरिट के आधार पर कार्यवाही करें। सैद्धान्तिक रूप से आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अनुपालन :

बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सहमति के क्रम में "सहारा स्टेट" जानकीपुरम का संशोधित तलपट मानचित्र निर्गत किया गया।

<u>विषय संख्याः 18</u>

खसरा संख्या–242, ग्राम–मकदूमपुर के सन्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट संख्या–67/एलए/2010 में 106 वर्गमी0 भूमि पर पारित स्थगनादेश तथा शासनादेश संख्या–346/8–3–16–38एलए/13 दिनांक 06.06.2016 के क्रम में नये भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–24(2) के अन्तर्गत निराकरण हेतु शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

बोर्ड के समक्ष यह विवाद का विषय लाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसका स्वयं समाधान करना चाहिए था। भूमि अधिग्रहण के समय स्थलीय परीक्षण न किये जाने के कारण सम्भवतः यह विवाद उत्पन्न हुआ है। किसान्नों द्वारा मुआवजा भी नहीं लिया गया है और उनके द्वारा भूमि अर्जन–मुक्त कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है एवं मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित भी रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर 32 से अधिक आवंटियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें से 11 आवंटियों द्वारा भूखण्डों का निबन्धन भी कराया जा चुका है तथा शेष आवंटियों द्वारा पूरा पैसा भी जमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को समाधान करना होगा कि जिन भूखण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है, उनके लिये क्या विकल्प है। इसलिए यह भूमि अधिग्रहण से छूट का प्रकरण

न होकर मूलरूप से विवाद का विषय है और इसका समाधान लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही सम्भव है। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया जाय, जो किसानों तथा आवंटियों से वार्ता कर व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तत्पश्चात् समिति की रिपोर्ट अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। फिर भी यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगता है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, तो प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किसानों तथा आवंटियों से वार्ता कर व्यावहारिक समाधान किये जाने हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में समिति गठित की जा चुकी है।

<u>विषय संख्याः 19</u> हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत भू–स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रतिकर के निर्धारण एवं गणना कराये जाने हेतु विभागीय पत्र सं0–596/ए0सी0/तह0/2016 दिनांक 23.07.2016 के माध्यम से जिलाधिकारी लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

<u>विषय संख्याः 20</u> भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन से उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013" के अन्तर्गत प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग–1 व 2 के किसानों द्वारा वर्तमान सर्किल रेट के 4 गुना की दर से प्रतिकर की मांग दृष्टिगत लैण्ड पूलिंग पद्धति से किसानों की सहभागिता के आधार पर योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u> शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग के सम्बन्ध में नवीन शासनादेश निर्गत किया जा चुका है, जिसके प्रकाश में कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं सक्षम है। अतः सैद्धान्तिक रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार लैण्ड पूलिंग पद्धति से किसानों की सहभागिता के आधार पर योजना क्रियान्वयन के लिये किसानों की सहमति प्राप्त करने व भूमि जुटाव हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
<u>विषय संख्याः 21</u>	दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त आडिट आपत्तियों के निराकरण के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आडिट आपत्ति के समाधान हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
<u>विषय संख्याः 22</u>	उ0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 28.11.2015 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (25.00 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के अनुरूप प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनाक 18.06.2016 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
<u>निर्णय :</u>	पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।
अनुपालन :	प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है

विषय– उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा दिनाक 28.11.2015 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (25.00 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के अनुरूप प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

आख्या–

उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–520/8–3–14–37विविधि/13 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के क्रम में ग्राम–पुरसैनी, जनपद लखनऊ के 25.00 एकड़ क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु लाईसेन्स संख्या–29/वी.सी./ई.ई./एच.टी.आई.जी./15 दिनांक 27.06.2015 जारी किया गया था। विकासकर्ता द्वारा दिनांक 28.11.2015 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर परीक्षणोंपरान्त डी0पी0आर0 समिति द्वारा दिनांक 10.06.2016 को की गयी संस्तुति एवं तदोक्रम में प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

1. **समिति के सुझाव** के अनुरूप भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र के रूप में खतौनी की प्रतियां डी0पी0आर0 में संलग्न कर दी गयी है।
2. **समिति के सुझाव** के अनुरूप नहर पर दर्शित पुल की चौड़ाई 2 X 15 मी0 दर्शित करते हुए संशोधित डी0पी0आर0 में सिंचाई विभाग की अनापत्ति सम्बन्धी पत्र सं0–762(1)/शा0अनु0/तदिनांक 19.01.2016 संलग्न कर दी गयी है।
3. **समिति के सुझाव** के अनुरूप भवन निर्माण एव विकास उपविधि 2008 (संशोधित 2011) के मानको के अनुसार टाउनशिप के पार्को का प्रस्ताव संशोधित कर दिया गया है।
4. **समिति के सुझाव** के अनुरूप खुले स्थान की सीमा एवं भूखण्ड की सीमा के मध्य 3.0 मी0 चौड़ा पाथवे प्रस्तावित कर दिया गया है।
5. **समिति के सुझाव** के अनुरूप टाउनशिप में प्रस्तावित मिक्सड लैण्डयूज के सामने 30 चौड़ी रोड प्रस्तावित कर दी गयी है।
6. **समिति के सुझाव** के अनुरूप लैण्ड स्कैप प्लान एवं एरिया कैल्कुलेशन चार्ट प्रदर्शित कर दिया गया है।
7. **समिति के सुझाव** के अनुरूप स्थल के पूर्व में गोपाल खेडा को जाने वाले मार्ग की चौड़ाई 9.0 मी0 मेन्टेन करने हेतु मार्ग के मध्य से 4.50 मी0 रोड वाइडेनिग प्रस्तावित कर दी गयी है।
8. **समिति के सुझाव** के अनुरूप टाउनशिप मे प्रस्तावित एस0टी0पी0 के चारो तरफ सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित कर दिया गया है।

9. समिति के सुझाव अनुरूप टाउनशिप मे इलैक्ट्रिक सब–स्टेशन (क्षे0 1179.52 वर्गमी0) को चिन्हित कर दिया गया है।
10. समिति के सुझाव के अनुरूप नगरीय विकास शुल्क की कुल देय धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि लगभग रू0 81.00 लाख का चेक सं0– 557626 दिनांक 18.06.2016 प्रस्तुत कर दिया गया है।
11. समिति के सुझाव के अनुरूप ग्रामीण आबादी विकास शुल्क, विकास अनुज्ञा शुल्क, निरीक्षण शुल्क, नगरीय विकास शुल्क, कनेक्टीविटी चार्ज तथा अन्य देय शुल्कों की देयता, ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण, बंधक वेलेख प्रस्तुत करने सम्बन्धी शपथ पत्र दिनांक 18.06.2016 प्रस्तुत कर दिया गया है।
12. इस प्रकार डी0पी0आर0 संशोधित होन के पश्चात् भू–उपयोग वितरण तालिका निम्नवत है:–

क0 सं0	भू–उपयोग	टाउनशिप भू–उपयोग क्षेत्रफल (वर्गमी0)	भू–उपयोग प्रतिशत	नीति में निर्धारित प्रतिशत
1.	आवासीय	45225.23	44.70	अधिकतम 50%
2.	व्यवसायिक	3419.89	3.38	अधिकतम 10%
3.	मिक्सड	1082.40	1.07	अधिकतम 20%
4.	सार्व0, अर्ध0 एवं मनोरंजन सुविधाएं	10568.24	10.44	न्यूनतम 10%
5.	पार्क एवं खुले क्षेत्र	15223.30	15.05	न्यूनतम 15%
6.	यातायात एवं संचार	25655.94	25.36	न्यूनतम 15%

डी0पी0आर0 समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत की गयी संस्तुति के कम में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0, शपथ पत्र एवं स्वामित्व सत्यापन रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 अनुमोदन हेतु विकासकर्ता द्वारा आवेदन किया गया है।

प्रस्तावः

मे0 ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा 25 एकड़ क्षेत्रफल (ग्राम–जुरसैनी जनपद लखनऊ) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डी0पी0आर0 पर समिति द्वारा की गयी परीक्षण/संस्तुति/सुझाव को सम्मिलित/संशोधित करने के उपरांत कतिपय प्रतिबंधों/ शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के अन्तर्गत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के कम में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता (हा०/ई०सेल)

आर० डी० वर्मा
अधिशासी अभियन्ता (हा०/ई०सेल)
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

विषय संख्या–04 पृष्ठ सं0–24

विषय– हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मे0 अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित विन्यास मानचित्र उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 04.08.2016 पर विचार।

आख्या–

मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा हाईटेक टाउनशिप का विकास कार्य किया जा रहा है। विकासकर्ता द्वारा स्थलीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप दिनांक 18.07.2016 को एक संशोधित विन्यास मानचित्र 16.361 हेक्टेयर (40.42 एकड़) भूमि पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा प्रस्तुत उक्त संशोधित विन्यास मानचित्र पर दिनांक 04.08.2016 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक का कार्यवृत्त सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। समिति द्वारा बैठक में निम्न निर्णय लिया गया:–

"आई0बी0बी0–2 के विन्यास मानचित्र 16.361 हेक्टेयर भूमि पर पूर्व में प्रस्तावित 14 व्यवसायिक तथा 02 पार्किंग टावरों को संशोधित करते हुए 13 व्यवसायिक टावरों का निर्माण करने हेतु संशोधित तलपट मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार समस्त प्रस्तावित टावर में भू–उपयोग व्यवसायिक है। संशोधित तलपट मानचित्र के भू–उपयोग में परिवर्तन नही है। कुल 16.361 हेक्टेयर भूमि पर उपलब्ध एफ0ए0आर0 को प्रत्येक टावर में डिस्टीव्यूशन किया गया है। अनिर्मित तथा प्रस्तावित टावरों के व्यवसायिक के तल क्षेत्रफल पर वांछित वाहनों की पार्किंग मानको के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रस्तावित संशोधन को प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति, प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखे जाने हेतु संस्तुति की जाती है।"

प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये संशोधित विन्यास मानचित्र को कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत योग्य पाया गया है। अतः प्रस्ताव है कि समिति की बैठक दिनांक 04.08.2016 की संस्तुति के साथ विकासकर्ता के संशोधित विन्यास मानचित्र का विवरण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

प्रस्ताव–

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के संशोधित विन्यास मानचित्र पर उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2016 की संस्तुति के कम में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित विन्यास मानचित्र प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रशान्त गौतम
सहायक अभियन्ता

विषय– मे0 अंसल प्रापर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 की हाईटेक टाउनशिप "सुशान्त गोल्फ सिटी" के पंचम चरण (क्षेत्रफल–958.85 एकड़) के संशोधित विन्यास मानचित्र पर विचार।

आख्या–

लखनऊ–सुल्तानपुर रोड पर मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के स्वीकृत 6465 एकड़ डी0पी0आर0 के अन्तर्गत पंचम चरण 958.85 एकड़ क्षेत्रफल योजना के अंश भाग 609 एकड़ क्षेत्रफल के विन्यास मानचित्र को दिनांक 21.05.2015 मे सम्पन्न तकनीकी समिति के विषय संख्या–2 के प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु प्रदान की गयी संस्तुति के कम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 23.05.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया। हाईटेक नीति के अन्तर्गत विन्यास मानचित्र की स्वीकृति हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत भू–स्वामित्व अनिवार्य होने की शर्त के कारण विकासकर्ता के पक्ष में 368.355 एकड़ भूमि उपलब्धता के दृष्टिगत पंचम चरण के क्षेत्रफल 609 एकड़ के अंश विन्यास मानचित्र को स्वीकृत किया गया था। हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–535/8–3–13विविध/2008टीसी दिनांक 27.11.2015 के प्रस्तर–2 द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति के उक्त प्रतिबन्ध को शिथिल करते हुये पूर्व निर्धारित प्राविधान को अवक्रमित करते हुये हाईटेक टाउनशिप नीति के प्रस्तर–26.01 प्रतिष्ठापित किया गया है, जिसके अनुसार विस्तृत विन्यास मानचित्र की स्वीकृति हेतु उपलब्ध भू–स्वामित्व की सीमा 40 प्रतिशत कर दी गयी है (शासनादेश की छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न)।

विकासकर्ता द्वारा उक्त शासनादेश का लाभ लेते हुये पंचम चरण के अन्तर्गत आवश्यक 40 प्रतिशत भू–उपलब्धता (958.85 एकड़ X 40% = 383.54 एकड़) के सापेक्ष 387.632 एकड़ उपलब्धता प्राप्त होने की दशा मे स्वीकृत कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0/ले–आउट से आंशिक विचलन करते हुये पंचम चरण का संशोधित विस्तृत विन्यास मानचित्र (क्षेत्रफल 958.85 एकड़) प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:–

1. स्वीकृत कन्सेप्चुअल डी0पी0आर0/ले–आउट में प्रस्तावित 22.50 एकड़ एवं 23.71 एकड़ के 02 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को भूखण्डीय विकास हेतु नियोजन करते हुए संशोधित विन्यास मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। कुल भूमि के सापेक्ष 10 प्रतिशत भूमि पार्क हेतु प्रस्तावित किया गया है।

2. स्वीकृत कन्सेप्चुल डी0पी0आर0/ले–आउट के अन्तर्गत एकल आवासीय भूखण्डों हेतु आरक्षित 16 पॉकेट्स को पूर्व में प्रस्तावित कूल 1749 बड़े क्षेत्रफल के भूखण्डों को पुर्ननियोजित करते हुए 2612 भूखण्डों का सृजन किया गया है, उक्त संशोधन के फलस्वरूप पार्क/खुला क्षेत्रफल हेतु पूर्व में आरक्षित 13.84 प्रतिशत भूमि के स्थान पर 14.50 प्रतिशत भूमि पार्क/खुला क्षेत्रफल हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3. स्वीकृत कन्सेप्चुअल डी0पी0आर/ले–आउट मे विकासकर्ता द्वारा पंचम चरण के 958.85 एकड़ भूमि में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप आवासीय भू–उपयोगों का प्रतिशत 47.93 के सापेक्ष 44.00 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। विन्यास मानचित्र के डी0पी0आर0/ले–आउट के अनुसार पंचम चरण के विन्यास मानचित्र के अन्तर्गत अनुमानित जनसंख्या 165785 व्यक्ति से 150430 व्यक्ति हो जाना अनुमानित है।

एस0 पी0 श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता

आर0 डी0 वर्मा

पंचम चरण के विन्यास मानचित्र के अन्तर्गत किये गये संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तावित अवस्थापना सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या सुदृढीकरण या संशोध्न की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत दिनांक 09.08.2016 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा विन्यास मानचित्र के स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने की संस्तुति प्रदान की गयी। (तकनीकी समिति की संस्तुति अनुलग्नक–2 पर संलग्न)।

प्रस्ताव–

उपर्युक्त आख्या के परिप्रक्ष्य में मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के हाईटेक टाउनशिप के स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत पंचम चरण, क्षेत्रफल–958.85 एकड़ के संशोधित विन्यास मानचित्र को तकनीकी समिति द्वारा उल्लिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

एस0 पी0 श्रीवास्तव
अवर अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

आर0 डी0 वर्मा
अधिशासी अभियन्ता (हा0/ई0सेल)
ल0वि0प्रा0 लखनऊ

विषयः खसरा सं0–1040,1041,1044,1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक(पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्याः

खसरा सं0–1040,1041,1044,1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की भूमि 30 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है। यह भूमि महायोजना में ग्रीन दर्शित है। पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु भूमि का व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 21.06.2016 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय प्रदान किया गयाः–

"पूर्व में यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। पुनः प्रस्ताव बिना परीक्षण के बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाय, जिसनें मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 (सदस्य) एवं मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 (संयोजक सदस्य) होंगे। गठित समिति समस्त तथ्यों का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी एवं समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुविचारित प्रस्ताव यथा–समय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।"

उपरोक्त निर्णय के कम में प्रकरण पर प्राधिकरण के सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.07.2016 को सम्पन्न की गयी है। समिति द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त निम्न संस्तुति की गयी हैः–

भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रश्नगत स्थल लखनऊ महायोजना–2021 के अनुसार ग्रीन (पी1) भूउपयोग के अंतर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार उक्त स्थल पर पेट्रोल पम्प अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में निर्देशित किया गया है कि मास्टर प्लान में चिन्हित ग्रीन क्षेत्र के स्वरूप को प्रत्येक दशा में यथावत् बनाये रखा जाये एवं मास्टर प्लान के विरूद्ध किये जा रहे भू–उपयोग पर अंकुश लगाया जाय। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण कुल भूमि के 10 प्रतिशत भाग पर ही निर्माण की अनुमन्यता, निर्माण कम ऊँचाई एवं 30 मीटर चौड़े मार्ग पर भूखण्ड स्थित होने तथा यातायात के सुगम संचालन हेतु पेट्रोल पम्प की आवश्यकता/ सुविधा के दृष्टिगत भू–उपयोग परिवर्तन, नियमावली के अनुरूप भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने की शर्तो के अन्तर्गत ग्रीन से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तित कर मानचित्र की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। खसरा सं0–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की भूमि पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थलीय स्थिति तथा उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्तावित 600 वर्ग

बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति की जा रही है। (संस्तुति की छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न)

बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश पर गठित समिति द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तावित 600 वर्ग मीटर भूमि को ग्रीन से व्यवसायिक उपयोग (पेट्रोल पम्प) में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए विचार किया जा सकता है।

प्रस्तावः

उपरोक्त आख्या के क्रम में विकसित मार्ग के सम्मुख स्थित खसरा सं0–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्ग मी0 भूमि/भूखण्ड ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की भूमि महायोजना–2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन शुल्क लेते हुये परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अनुलग्नक-1

खसरा सं0–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक(पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30.07.2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. श्री जे0 एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. डॉ0 आर0के0 उदयन, सहायक नियोजक, प्रतिनिधि, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
3. श्री आर0 डी0 वर्मा, अधि0 अभियंता, जोन–2, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

खसरा सं0–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील– सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की भूमि एयरपोर्ट के सामने पेट्रोल पम्प की स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड में प्रस्तुत प्रस्ताव तथा बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के कम में प्रकरण का बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। उपस्थित जोन के अधिशासी अभियंता द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड/ भूमि बिजनौर मार्ग से ओमेक्स सिटी की तरफ जाने वाले 30 मी0 चौड़े मार्ग पर किला मोहम्मदी ड्रेन से सटा भूखण्ड है तथा मार्ग की चौड़ाई से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुये 600 वर्गमी0 की भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदक द्वारा किये गये अनुरोध का उल्लेख करते हुए स्थलीय मानचित्र सहित रिपोर्ट बैठक के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गयी। यद्यपि उक्त स्थल के सम्मुख मार्ग पर ड्रेन के निकट ओमेक्स द्वारा टाउनशिप विकसित की जा चुकी है। यह भी अवलोकनीय है कि उक्त स्थल के आस–पास कोई पेट्रोल पम्प उपलब्ध नहीं है तथा मार्ग पर अवस्थाना सुविधाओं की उपलब्धता के साथ–साथ छिटपुट निर्माण होने का बैठक के सदस्यों को अवगत कराया गया।

भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रश्नगत स्थल लखनऊ महायोजना–2021 के अनुसार ग्रीन (पी1) भूउपयोग के अंतर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार उक्त स्थल पर पेट्रोल पम्प अनुमन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में निर्देशित किया गया है कि मास्टर प्लान में चिन्हित ग्रीन क्षेत्र के स्वरूप को प्रत्येक दशा में यथावत् बनाये रखा जाये एवं मास्टर प्लान के विरूद्ध किये जा रहे भू–उपयोग पर अंकुश लगाया जाय परन्तु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण कुल भूमि के 10 प्रतिशत भाग पर ही निर्माण की अनुमन्यता, निर्माण कम ऊँचाई एवं 30 मीटर चौड़े मार्ग पर भूखण्ड स्थित होने तथा यातायात के सुगम संचालन हेतु पेट्रोल पम्प की आवश्यकता/ सुविधा के दृष्टिगत भू–उपयोग परिवर्तन, नियमावली के अनुरूप भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करने की शर्तों के

अन्तर्गत ग्रीन से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तित कर मान-चित्र की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। खसरा सं0—1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम—औरंगाबाद जागीर, तहसील— सरोजनी नगर, जिला—लखनऊ की भूमि पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु स्थलीय स्थिति तथा उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्तावित 600 वर्ग मीटर भूमि को ग्रीन से व्यवसायिक उपयोग (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन के प्रकरण पर बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णय लिये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति की जा रही है।

(आर0डी0 वर्मा)
अधि0अभियंता, जोन—2,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
सदस्य।

(डॉ0 आर0 के0 उदयन)
सहायक नियोजक,
प्रतिनिधि, नगर एवं ग्राम
नियोजन विभाग, उ0प्र0
सदस्य।

(जे0 एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
सदस्य/संयोजक।

(अरूण कुमार)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
अध्यक्ष समिति।

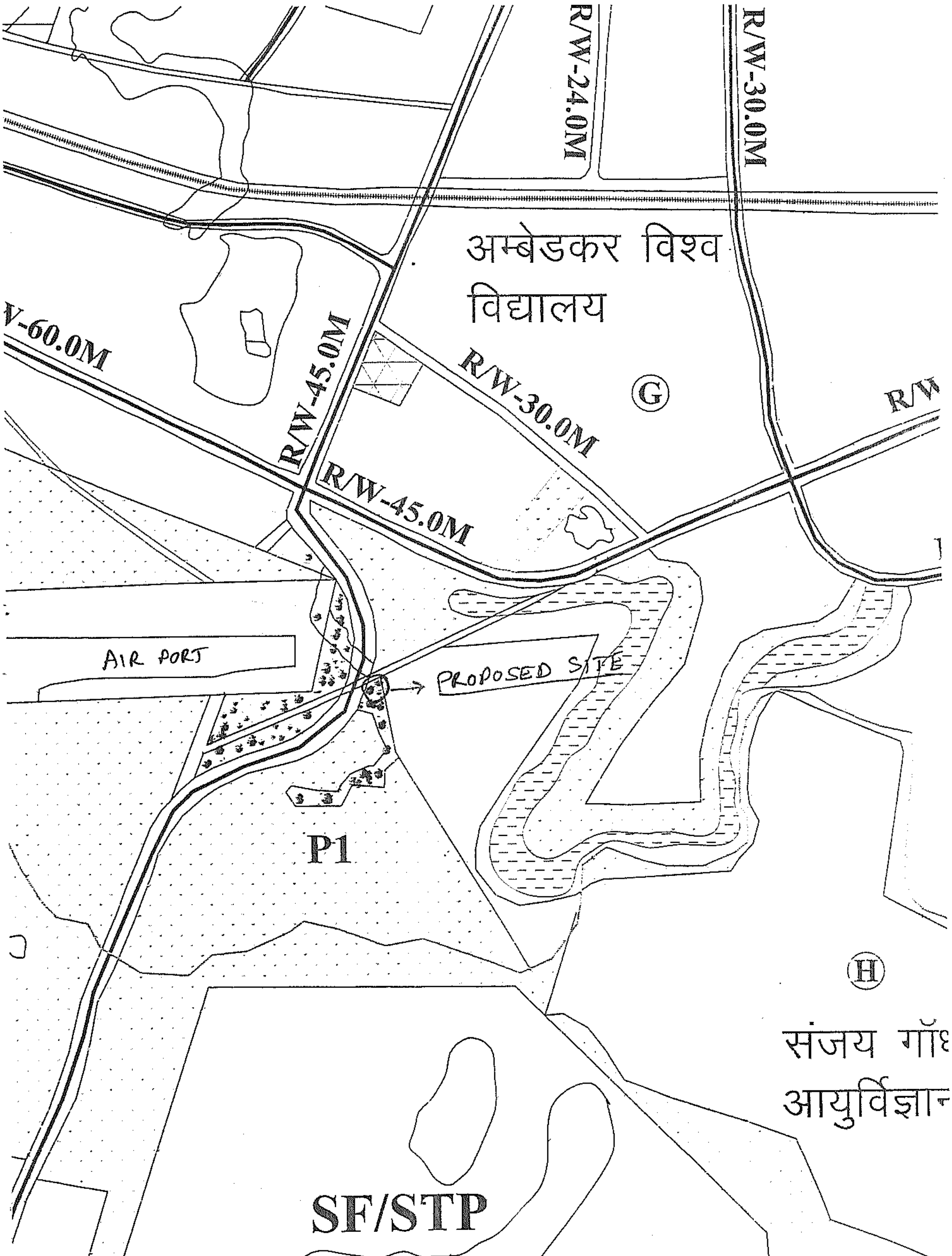
R/W-24.0M
R/W-30.0M
अम्बेडकर विश्व
विद्यालय
-60.0M
R/W-45.0M
R/W-30.0M
G
R/W-45.0M
AIR PORT
PROPOSED SITE
P1
H
संजय गाँध
आयुर्विज्ञान
SF/STP

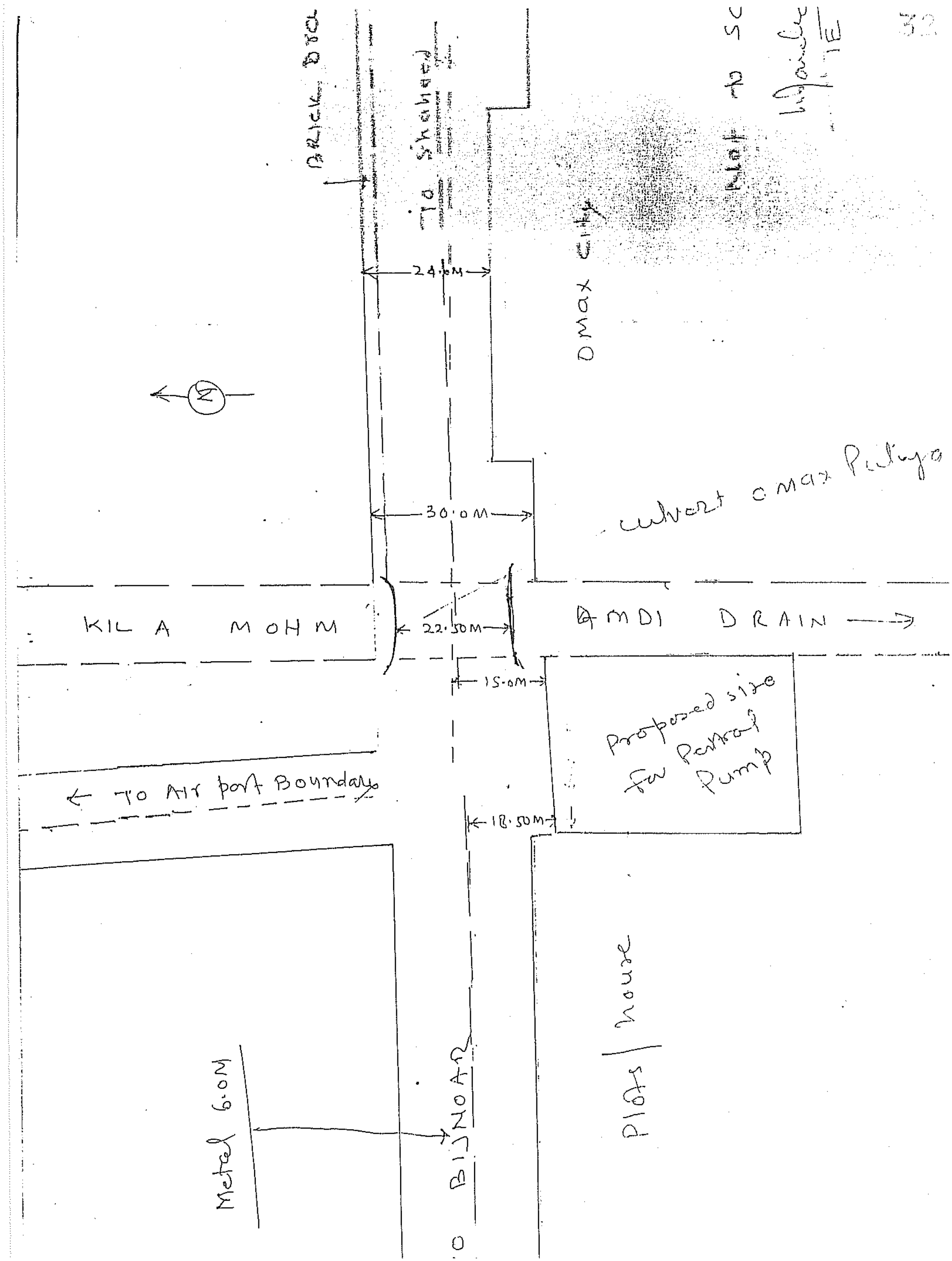

N
24.0M
30.0M
culvert omax Puliya
KILA MOHM
AMDI DRAIN →
22.50M
15.0M
Proposed site for Petrol Pump
← TO Air port Boundary
18.50M
Metal 6.0M
BIJNOR
Plots / house
OMAX City

विषय संख्याः 07

विषयः उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।

आख्या :

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों को अन्य भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों पर युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2015 में 43 प्रकरणों पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल ऐसे प्रकरण नियमानुसार शासन को निर्णय हेतु संदर्भित किये जायें जिन्में भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया गया हो तथा भवन निर्माण के समय समस्त प्रकार की भवन उपविधियों, नियमों, शासनादेशों इत्यादि का पालन किया गया हो।

ऐसे मामले जिनमें निर्मित भवन को कभी सील किया गया हो या वर्तमान में सील पड़े हो या जिन्हें सशर्त शमनित किया गया हो कि वह अनाधिकृत निर्माण को स्वतः गिरा लेगें किन्तु उनके द्वारा ऐसे अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाया गया है, उन्हें शासन को नहीं सन्दर्भित किया जायेगा।

किसी प्रकरण को सन्दर्भित करने से पूर्व उसका उपरोक्त आलोक में शत–प्रतिशत परीक्षण कर लिया जाये। "

पुनः नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों को अन्य भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों पर युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 21.06.2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।"

प्रस्ताव पर दिनांक 06.11.2015 में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जन साधारण से आपत्ति/सुझाव हेतु समाचार–पत्रों में प्रकाशन दिनांक 07.06.2016 तथा दिनांक 21.06.2016 को बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समाचार–पत्रों में दिनांक 03.07.2016 में प्रकाशन कराया गया है। (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न) दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशन पर भू–उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जन साधारण से कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय तथा प्रकरण पर उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही के क्रम में नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत निर्धारित भू–उपयोग से अन्य भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की

अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 में भू–उपयोग परिवर्तन के 80 प्रस्तावों पर विचार–विमर्श हुआ है। समिति द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही कुछ नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत सम्पादित कराने की संस्तुति की गयी है। (समिति की संस्तुति अनुलग्नक–2 पर संलग्न)

भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क को अग्रिम जमा कराने हेतु समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर उपाध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के जारी शासनादेश सं0–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक 11.12.2014 के प्रस्तर भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया 5–(1) प्रक्रिया (धारा–13) की उपधारा–(2)(ग)(घ) के अनुसार बोर्ड की सहमति के उपरान्त आंकलन कर जमा कराने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण हेतु प्राधिकरण स्तर पर उपाध्यक्ष द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन पटल का गठन किया गया है। पटल द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन पर जन साधारण से आमंत्रित किये गये आपत्ति/सुझाव से सम्बन्धित 80 प्रस्तावों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया भूखण्ड की रिक्तता, निर्माण, निर्मित भवनों के तलों की संख्या, सेटबैक, उपयोग आदि पर विवरण तालिका में संलग्न कर प्रेषित किया गया है। पटल द्वारा की गयी स्थलीय जांच की रिपोर्ट में कुछ रिक्त, कुछ निर्मित, कुछ अर्धनिर्मित, कुछ आवासीय, कुछ में व्यावसायिक तथा अनावासीय, कुछ भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृत करा कर निर्मित करने, कुछ भूखण्डों पर बिना स्वीकृति के निर्माण करने के बिन्दु पर जांच किया जाना हैं। भू–उपयोग परिवर्तन हेतु उक्त 80 आवेदनों में से 9 आवेदक के भूखण्ड भवन उपविधि तथा महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स् से भिन्नता के दृष्टिगत अलग किया गया है। अवशेष (भूखण्डों की सूची अनुलग्नक–3 पर संलग्न) पर भू–उपयोग परिवर्तन के अनुमोदन की दशा में प्रत्येक आवेदन का भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क आंकलित कर जमा कराये जाने पर आवेदक की इच्छा, भूखण्ड पर प्रस्तावित क्रिया से सम्बन्धित मानचित्र को भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुरूप नियमितीकरण या स्वीकृति समिति की संस्तुति से उपाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। इससे नियोजित कालोनियों का स्वरूप पूर्ण रूप से परिवर्तित न होने पाये, भू–उपयोग परिवर्तन पर नियंत्रण रहे तथा अवस्थापना सुविधाओं को व्यवस्थित रखते हुये सुगम संचालन किया जा सके। भू–उपयोग परिवर्तन से प्राप्त धनराशि से उक्त क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण तथा भू–उपयोग परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव के सुधार में व्यय किया जाना उचित होगा।

प्रस्ताव

उपर्युक्त के क्रम में नियोजित कालोनियों के आवासीय से अन्य भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त कर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुपालन करने के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सहमति की दशा में जमा किये भू–उपयोग परिवर्तन शुल्कों तथा प्रकरणों की सूची, नियमित/स्वीकृत मानचित्रों की सूची, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुलग्नक–1

प्रालस जाच पड़ताल कर वापस लौट गई। रूप से कई वर्षों से कब्जा कर पुलिस चौकी

35

आराम करने का जरीया बना रखा है
पीड़ित मालिक लाखों रुपए खर्च करने
बाद भी अपने भवन पर मालिकाना
जमाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने
मजबूर होकर भटक रहा है। इस बात
अवगत कराते हुए पीड़ित हरेश्याम सिंह
चंद्रकांत सिंह मुल निवासी 103 मिं
नगर जनपद गोरखपुर ज़ोकि रेल
कोआपरेटिव बैंक डीआरएम कार्याल

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 - 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
टोल फ्री–1800-1800-5000, वेबसाइट "http://www.ldalucknow.co.in"

–: आवश्यक सूचना :–

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के आवंटित आवासीय भूखण्डो (सूची निम्नवत्) को व्यावसायिक भू–उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त 43 आवेदनों का प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा "भूखण्डों / भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरुप तथा भवन निर्माण के समय समस्त प्रकार की भवन उपविधियों, नियमों, शासनादेशों इत्यादि का पालन किया गया हो" पर परीक्षण कराते हुए अनुमोदनार्थ उ0प्र0 शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13(1) तथा शासनादेश संख्या–2438 / 9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0 / 96 दि0 13.10.1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन पर दिये गये सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर तीन प्रतियों में "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित करते हुये प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में प्राप्त कराये जायेंगे।

1.	सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार 30 मी0 रोड, 1 / सी–816, 230 वर्गमीटर
2.	विराम खण्ड, गोमती नगर, 24 मी0 रोड, 1 / 5, 0.054 हे0
3.	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, 24 मीटर रोड, बी–2 / 91, 300 वर्गमीटर
4.	विशाल खण्ड, गोमती नगर, 2 / 362, 293.75 वर्ग मीटर
5.	सेक्टर–एल अलीगंज, 24 मीटर रोड, बी–1 / 35, 279.397 वर्गमीटर
6.	सेक्टर–बी, महानगर, 30 मी0 रोड, बी–339, 891.87 वर्गमीटर
7.	टी0जी0नार्थ चॉदगंज स्कीम, निरालानगर, 30मी0रोड, बी–184, 1088.72 वर्गमीटर
8.	से0–डी–1, कानपुर रोड योजना 24 मीटर रोड, MD-1/ 340, SS/II/D1/ 874, 110.25 वर्गमीटर।
9.	विशाल खण्ड–4, गोमतीनगर, ए–4 / 66, 0.054 हे0।
10.	विनीत खण्ड–1 गोमती नगर, 1 / 1, 630.00 वर्गमी0
11.	विजय खण्ड–1, गो0न0, 1 / 27 436.50 वर्गमी0
12.	सेक्टर–ए, महानगर, बी–959, 1991.00 वर्गमी0
13.	विनय खण्ड–2, गोमती नगर, 2 / 12, 300.00 वर्गमी0
14.	गोमती नगर विस्तार योजना, 1 / सी–425, 282.00 वर्गमी0
15.	सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार योजना, 142, 4660 वर्गमी0
16.	विनित खण्ड, गोमती नगर योजना, 1 / 55 एच, 0.016846 हे0
17.	से0–डी, कानपुर रोड योजना, D–3 / 434, 115.50 वर्गमी0
18.	महानगर विस्तार, कुर्सी रोड योजना, बी–1 / 8, 585.50 वर्गमी0
19.	विराट खण्ड, गोमती नगर योजना, 2 / 12, 200.00 वर्गमी0
20.	विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, 1 / 3, 200.00 वर्गमी0
21.	विवेक खण्ड, गोमती नगर योजना, 3 / 113, 288.00 वर्गमी0
22.	सेक्टर–एम, अलीगंज योजना, सी–27, 185.87 वर्गमीटर
23.	सेक्टर–एम, अलीगंज योजना, सी–26, 185.078 वर्गमीटर
24.	सेक्टर–पी, अलीगंज योजना, बी–36, 368.00 वर्गमीटर
25.	विनय खण्ड, गोमती नगर योजना, 3 / 41, 250.00 वर्गमी0
26.	सेक्टर–पी, अलीगंज योजना, बी–40, 453.91 वर्गमीटर
27.	विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, सी–2 / 7, 205.00 वर्गमीटर
28.	सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार योजना, 1 / बी–500, 300.00 वर्गमीटर
29.	रजनी खण्ड, शारदा नगर योजना, 3 / 205, 200.00 वर्गमीटर
30.	सेक्टर–जी, जानकीपुरम् योजना, बी–1 / 292, 3200 वर्गफीट
31.	विपुल खण्ड गोमतीनगर योजना, सी–4 / 2, 200.00 वर्गमीटर
32.	रूचि खण्ड–1, शारदानगर योजना, 2 / 32, 288.00 वर्गमीटर
33.	विजयन्त खण्ड, गोमती नगर योजना, बी–3 / 10, 300.00 वर्गमीटर
34.	आशियाना योजना, कानपुर रोड, एम–344, 229.90 वर्गमीटर
35.	विनीत खण्ड, गोमती नगर योजना, 4 / 93, 418.00 वर्गमीटर
36.	विपुल खण्ड गोमती नगर, योजना, 1 / 9, 300.00 वर्गमीटर
37.	विवेक खण्ड, गोमती नगर योजना, 2 / 471, 217.42 वर्गमीटर
38.	विशाल खण्ड, गोमतीनगर योजना, 4 / 183, 280.78 वर्गमीटर
39.	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर योजना, 1 / 181, 123.75 वर्गमीटर
40.	विवेक खण्ड गोमती नगर, 9 / 12 मी0 रोड, 3 / 271, 30.00 वर्गमीटर
41.	गोमतीनगर विस्तार, 18 मी0 रोड, 5 / 582, 114.00 वर्गमीटर
42.	विजय खण्ड गोमती नगर, 30 मी0 रोड, 2 / 86, 807.500 वर्गमीटर
43.	विपुल खण्ड, गोमती नगर, 45 मी0 रोड, 2 / 19, 540.00 वर्गमीटर

मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

प्रेस वि

कृषि निदेशक, उ.प्र., के पत्रांक–प्रसार 211/प्र.कृ.उ.स्वा.यो./ 2016–17/
योजना वर्ष 2016–17 प्राप्त हुई है।

योजना का नाम:–प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना

1. संक्षिप्त रूप रेखा:–

किसानों के हितलाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को सेवाओं का उ
है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि
माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।

यह कृषि केंद्र निम्नवत् सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने को

1. मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियां।
2. उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, कर्षी कम आपूर्ति।
3. लघु कृषि–यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
4. प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।

उक्त के अतिरिक्त कृषि केंद्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण
विपणन व अन्य संबन्धित सूचनाओं के लिए सूचना विज्ञान नियोजन की स्थाप

2. राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान

1. कृषि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लग
2. इस उद्देश्य के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 05 प्रतिशत ब
सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में
3. एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रु. 1
4. स्वतः कृषि केंद्र व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्र
5. लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराना।

जनपद के सभी विकास खंडों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित "कृषि स्थाप
प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वयं स्वरोजगार के लिए सक्षम
ऐसे ही केंद्रों को संचालित किये जाने की योजना है।

यह योजना नाबार्ड के परामर्श एवं जनपद में कार्यरत आई.सी.आई. बैंक,
माध्यम से क्रियाशील की जायेगी।

3. योजना का कार्यक्षेत्र:–जनपद के समस्त 15 विकास खंडों में योजना संचालि

4. इस योजना के अंतर्गत मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

पात्रता:–आवेदक जनपद–लखीमपुर–खीरी में निवास करने वाले कृषि स्नातक/
सम–उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस
किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आई.सी.ए.आर./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता ह
इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/

आयु:– 40 वर्ष से अधिक तथा अनुसूचित जाति/ जनजा
जिनकी जन्म तिथि पहले हो उन्हें वरीयता दी जा

योजना लागत:– रु. 4.00 लाख (अधिकतम)।

ऋण सीमा:– रु. 3.50 लाख

प्रतिपूर्ति राशि:– रु. 0.50 लाख (योजना लागत का 12.50 प्रतिश

इच्छुक लाभार्थी निम्न प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र डाक या सीधे कार्यालय
तक जमा कर सकते हैं।

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन

आवेदन पत्र का

कार्यालय के उ

क्रमांक............................

प्राप्ति दिनांक............................

1. आवेदक का नाम (हिन्दी)............................
(अंग्रेजी)............................
2. पिता का नाम............................
3. जन्म तिथि (अंकों में)............................ दिन............ माह....
4. जाति............................
5. स्थाई पता............................
6. पत्राचार का पता............................
7. मोबाइल नं. ....
8. शैक्षिक योग्यता:–

क्र.सं.	विवरण	बोर्ड/ वि.वि. का नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		

नोट:–उपरोक्त अंकपत्र की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

अन्य योग्यता:–

अनुभव:–

–:घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना/ विवरण मेरे द्वारा दिया/ उल्लेख किय
उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा

दिनांक:–

संलग्नक:–

पुलिस जाच पड़ताल कर वापस लौट गई। रुप से कई वर्षों से कब्जा कर पुलिस चौकी और

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 - 2004, ISO 9001-2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
टोल फ्री-1800-1800-5000, वेबसाइट "http://www.ldalucknow.co.in"

-: आवश्यक सूचना :-

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के आवंटित आवासीय भूखण्डो (सूची निम्नवत) को व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्राप्त 43 आवेदनों को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 में युक्तियुक्त निर्णय के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा "भूखण्डों / भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप तथा भवन निर्माण के समय समस्त प्रकार की भवन उपविधियों, नियमों, शासनादेशों इत्यादि का पालन किया गया हो" पर परीक्षण कराते हुए अनुमोदनार्थ उ0प्र0 शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(1) तथा शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60 एल0यू0सी0/96 दि0 13.10.1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन पर दिये गये सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर तीन प्रतियों में "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित करते हुये प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में प्राप्त कराये जायेंगे।

1.	सेक्टर-1, गोमती नगर विस्तार 30 मी0 रोड, 1/सी-816, 230 वर्गमीटर
2.	विराम खण्ड, गोमती नगर, 24 मी0 रोड, 1/5, 0.054 हे0
3.	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, 24 मीटर रोड, बी-2/91, 300 वर्गमीटर
4.	विशाल खण्ड, गोमती नगर, 2/362, 293.75 वर्ग मीटर
5.	सेक्टर-एल अलीगंज, 24 मीटर रोड, बी-1/35, 279.397 वर्गमीटर
6.	सेक्टर-बी, महानगर, 30 मी0 रोड, बी-339, 891.87 वर्गमीटर
7.	टी0जी0नार्थ चाँदगंज स्कीम, निरालानगर, 30मी0रोड, बी-184, 1088.72 वर्गमीटर
8.	से0-डी-1, कानपुर रोड योजना 24 मीटर रोड, MD-1/ 340, SS/II/D1/ 874, 110.25 वर्गमीटर।
9.	विशाल खण्ड-4, गोमतीनगर, ए-4/56, 0.054 हे0।
10.	विनीत खण्ड-1 गोमती नगर, 1/1, 630.00 वर्गमी0
11.	विजय खण्ड-1, गो0न0, 1/27 436.50 वर्गमी0
12.	सेक्टर-ए, महानगर, बी-959, 1991.00 वर्गमी0
13.	विनय खण्ड-2, गोमती नगर, 2/12, 300.00 वर्गमी0
14.	गोमती नगर विस्तार योजना, 1/सी-425, 282.00 वर्गमी0
15.	सेक्टर-1, गोमती नगर विस्तार योजना, 142, 4660 वर्गमी0
16.	विनित खण्ड, गोमती नगर योजना, 1/55 एच, 0.016846 हे0
17.	से0-डी, कानपुर रोड योजना, D-3/434, 115.50 वर्गमी0
18.	महानगर विस्तार, कुर्सी रोड योजना, बी-1/8, 585.50 वर्गमी0
19.	विराट खण्ड, गोमती नगर योजना, 2/12, 200.00 वर्गमी0
20.	विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, 1/3, 200.00 वर्गमी0
21.	विवेक खण्ड, गोमती नगर योजना, 3/113, 288.00 वर्गमी0
22.	सेक्टर-एम, अलीगंज योजना, सी-27, 185.87 वर्गमीटर
23.	सेक्टर-एम, अलीगंज योजना, सी-26, 185.078 वर्गमीटर
24.	सेक्टर-पी, अलीगंज योजना, बी-36, 368.00 वर्गमीटर
25.	विनय खण्ड, गोमती नगर योजना, 3/41, 250.00 वर्गमी0
26.	सेक्टर-पी, अलीगंज योजना, बी-40, 453.91 वर्गमीटर
27.	विराज खण्ड, गोमती नगर योजना, सी-2/7, 205.00 वर्गमीटर
28.	सेक्टर-1, गोमती नगर विस्तार योजना, 1/बी-500, 300.00 वर्गमीटर
29.	रजनी खण्ड, शारदा नगर योजना, 3/205, 200.00 वर्गमीटर
30.	सेक्टर-जी, जानकीपुरम् योजना, बी-1/292, 3200 वर्गफीट
31.	विपुल खण्ड गोमतीनगर योजना, सी-4/2, 200.00 वर्गमीटर
32.	रूचि खण्ड-1, शारदानगर योजना, 2/32, 288.00 वर्गमीटर
33.	विजयन्त खण्ड, गोमती नगर योजना, बी-3/10, 300.00 वर्गमीटर
34.	आशियाना योजना, कानपुर रोड, एम-344, 229.90 वर्गमीटर
35.	विनीत खण्ड, गोमती-नगर योजना, 4/93, 418.00 वर्गमीटर
36.	विपुल खण्ड गोमती नगर, योजना, 1/9, 300.00 वर्गमीटर
37.	विवेक खण्ड, गोमती नगर योजना, 2/471, 217.42 वर्गमीटर
38.	विशाल खण्ड, गोमतीनगर योजना, 4/183, 280.78 वर्गमीटर
39.	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर योजना, 1/181, 123.75 वर्गमीटर
40.	विवेक खण्ड गोमती नगर, 9/12 मी0 रोड, 3/271, 30.00 वर्गमीटर
41.	गोमतीनगर विस्तार, 18 मी0 रोड, 5/582, 114.00 वर्गमीटर
42.	विजय खण्ड गोमती नगर, 30 मी0 रोड, 2/86, 807.500 वर्गमीटर
43.	विपुल खण्ड, गोमती नगर, 45 मी0 रोड, 2/19, 540.00 वर्गमीटर

मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

36

आराम करने का जरीया बना रखा है 3
पीड़ित मालिक लाखों रुपए खर्च करने
बाद भी अपने भवन पर मालिकाना ह
जमाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने
मजबूर होकर भटक रहा है। इस बात
अवगत कराते हुए पीड़ित हरेश्याम सिंह
चंद्रकांत सिंह मुल निवासी 103 मिझा
नगर जनपद गोरखपुर जोकि रेल
कोआपरेटिव बैंक डीआरएम कार्यालि

प्रेस वि

कृषि निदेशक, उ.प्र., के पत्रक-प्रसार 211/प्र.कृ.उ.स्वा.यो./2016-17/1
योजना वर्ष 2016-17 प्राप्त हुई है।

योजना का नाम:-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना

1. संक्षिप्त रूप रेखा:-

किसानों के हितलाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवायें ... है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि ... माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।

यह कृषि केन्द्र निम्नवत् सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की

1. मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतियां।
2. उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पो... आपूर्ति
3. लघु कृषि-यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
4. प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।

उक्त के अतिरिक्त कृषि केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण ... विपणन व अन्य संबन्धित सूचनाओं के लिए सूचना विज्ञान नियोजन की स्थापना

2. राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान
1. कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा ला
2. इस उद्देश्य के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 05 प्रतिशत ... सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में
3. एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रु. 1
4. स्वतंत्र कृषि केंद्र व्यवसाय की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्र
5. लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराना।

जनपद के सभी विकास खंडों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित "वन स्टाप ... प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ युवा कृषि स्नातक स्वयं स्वरोजगार के लिए सक्षम ... ऐसे ही केंद्रों को संचालित किये जाने की योजना है।

यह योजना नाबार्ड के परामर्श एवं जनपद में कार्यरत आई.डी.बी.आई. ... माध्यम से क्रियाशील की जायेगी।

3. योजना का कार्यक्षेत्र:-जनपद के समस्त 15 विकास खंडों में योजना संचालि

4. इस योजना के अंतर्गत में मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

पात्रता:-आवेदक जनपद-लखीमपुर-खीरी में निवास करने वाले कृषि स्नातक/ यथा-उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस ... किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आई.सी.ए.आर./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता हो ... इसके अतिरिक्त उपरोक्त के अनुपलब्ध होने पर अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/

आयु:- 40 वर्ष से अधिक तथा अनुसूचित जाति/ जनजा... जिनकी जन्म तिथि पहले हो उन्हें वरीयता दी जाए

योजना लागत:- रु. 4.00 लाख (अधिकतम्)।

ऋण सीमा:- रु. 3.50 लाख

प्रतिपूर्ति राशि:- रु. 0.50 लाख (योजना लागत का 12.50 प्रतिश

इच्छुक लाभार्थी निम्न प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र डाक या सीधे कार्यालय ... तक जमा कर सकते हैं।

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन

आवेदन पत्र का

कार्यालय के उ

क्रमांक.....................

प्राप्ति दिनांक.....................

1. आवेदन का नाम (हिन्दी).....................
(अंग्रेजी).....................
2. पिता का नाम.....................
3. जन्म तिथि (अंकों में).....................दिन.....................माह.....
4. जाति.....................
5. स्थाई पता.....................
6. पत्राचार का पता.....................
7. मोबाइल नं. ....
8. शैक्षिक योग्यता:-

क्र.सं.	विवरण	बोर्ड वि.वि. का नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		

नोट:-उपरोक्त अंकपत्र की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

अन्य योग्यता:-

अनुभव:-

-:घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना/ विवरण मेरे द्वारा दिया/ उल्लेख किय... उसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

दिनांक:-

संलग्नक:-

www.upgov.nic.in UPID-1(

लखनऊ, 2 जुलाई। प्रदेश में जौनपुर संसदीय क्षत्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद के प्रतिनिधि नं अध्यायक अनिल सिंह परिवर्तन की आज संदिग्ध रस्थितियों में गो[ ] ऌगने से मृत्यु हो गई।

ा डा. श्यामा प्रसाद ौचक निरीक्षण

को ड्रेसकोड में रहने के निर्देश दिये। चिकित्सालय ाकारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाये गये तथा ड्रेस तु ज्यादातर चिकित्साधिकारी बिना एप्रेन के पाये द आज ही मंत्री ने बाल महिला चिकित्सालय एवं नगर का भी निरीक्षण किया। उपस्थित पंजिका का रने पर पाया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ल्ट्रासाउण्ड मशीन खराब थी जिसे तत्काल ठीक ा दिये। जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियो को ान न होने के कारण नराजगी जाहिर की। उन्होने ी0आई0यू0सी0डी0 के भी मरीजो की संख्या ार के निरीक्षण के समय सभी औषधियां व्यवस्थित न्ड चेन रूम एवं टीकाकरण कक्ष भी ठीक पाया सीलन थी सीलन को दूर किये जाने हेतु मरम्मत ; निर्देश दिये। उन्होने महिला चिकित्सालय एवं ारनगर के पीछे स्थित सिविल डिस्पेन्सरी के जर्जर ाल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराते हुए 100 क्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य तत्काल कराये दिये।

ाओं का लाभ पात्र ाये: शिवपाल यादव

ीक्षा, कार्यदायी संस्थाओं को मय से पूर्ण करने के निर्देश

ूरी क्षमता के साथ कार्य करें। उन्होनें सहकारिता वेभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा के सभी कार्यक्रम पूरी क्षमता के अनुसार पूरे किये जायें। इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वेकास कार्यो और परियोजनाओं को समय से पूरा केया जायें। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में आ रही कठिनाई की पूछताछ की। लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री ने इस बैठक में कार्यक्रम वार योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक कार्यक्रम मानक गुणवत्ता के आधार पर बल देया। लोक निर्माण विभाग के देवकली निरीक्षण गृह में लोक निर्माण मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी एक बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्यक्रमों का फीडबैक लिया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने योजानाओ का लाभ पात्र व्याक्तियों तक पहुचाने पर बल दिया। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जायें। प्रत्येक कार्यक्रम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होनें अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुचाने की कार्यवाही की जाये। बैठक में जेलाधिकारी माला श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी सत्येन्द्र नाथ चौधरी, अपर जेलाधिकारीएके सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
टोल फ्री–1800-1800-5000, वेबसाइट http://www.ldalucknow...

–: आवश्यक सूचना :–

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के भूखण्डों (सूची निम्नवत्) के नि[र्धारित] भू–उपयोग से अन्यत्र भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और वि[कास] (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अ[न्तर्गत] प्राप्त 37 आवेदनों को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.2016 में युक्तियुक्त निर्णय के [लिए] प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्राप्त आवेदन [पत्रों] के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कर उ0प्र0 शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–की धारा–13(1) तथा शासनादेश संख्या–2438 / 9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0 / 96 दि0 13.10.1998 के प्राविधान के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन पर दिये गये सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर तीन प्रतियों में "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित करते हुये प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ में प्राप्त कराये जायेंगे।

क्र0 सं0	ग्राम / योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमी0 / हे0) में	वर्तमान भू–प्रयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2 / 4, वास्तु खण्ड, गोमतीनगर	200.00 वर्गमीटर	आवासीय	नर्सिंग होम
2.	3 / 512, विवेक खण्ड, गोमतीनगर	85.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
3.	1 / 755, वरदान खण्ड, गोमतीनगर	137.97 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
4.	2 / 114, विशालखण्ड, गोमतीनगर	309.375 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
5.	1 / 810, बरदान खण्ड, गोमतीनगर	2152 वर्गफीट	आवासीय	व्यवसायिक
6.	5 / 18, विशाल खण्ड, गोमतीनगर	425.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
7.	बी–1 / 83, विक्रान्त खण्ड, गोमतीनगर	360.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
8.	बी–1, साउथ सिटी, रायबरेली रोड	467.41 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
9.	3 / 122, विवेक खण्ड, गोमतीनगर	405.60 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
10.	ए–1 / 43, विराट खण्ड, गो0नगर	200.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
11.	1 / 1, विजय खण्ड, गोमती नगर	—	आवासीय	व्यवसायिक
12.	246, एल्डिको ग्रीन, गोमतीनगर	390.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
13.	3 / 505, विशाल खण्ड, गोमतीनगर	343.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
14.	एन.एस.–2, विनम्र खण्ड, गोमतीनगर	743.77 वर्गमीटर	विद्यालय	व्यवसायिक
15.	ए–1 / 1ए, सेक्टर–ए, अलीगंज योजना	603.80 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
16.	ए–1 / 2ए, सेक्टर–ए, अलीगंज योजना	603.86 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
17.	के. 843, सेक्टर–के, आशियाना योजना	179.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
18.	460, विश्वास खण्ड–3, गोमतीनगर, लखनऊ	360 वर्गमीटर	आवासीय	कार्यालय
19.	बी–6, कुर्सी रोड, महानगर विस्तार, निकट गीता वस्त्रालय	729 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
20.	सी–8–45, से0–पी, अलीगंज	2430 वर्गफुट	आवासीय	व्यवसायिक
21.	3 / 1253, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ	2152 वर्गफिट	आवासीय	व्यवसायिक
22.	सी–24, सेक्टर–सी, अलकापुरी, अलीगंज	1800 वर्गफुट	आवासीय	व्यवसायिक
23.	सी–25, सेक्टर–सी, अलकापुरी, अलीगंज स्ट्रीट एवं सिटी विस्तार	1800 वर्गफिट	आवासीय	व्यवसायिक
24.	4 / 1, विवेक खण्ड, गोमतीनगर	343.28 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
25.	4 / 5, 558 विवेक खण्ड, गोमतीनगर	276.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
26.	बी–35, सेक्टर–पी, अलीगंज, लखनऊ	3960 वर्गफिट	आवासीय	व्यवसायिक
27.	5 / 579, विकास खंड, गोमतीनगर	210	आवासीय	व्यवसायिक
28.	ए–21, निरालानगर, लखनऊ 30 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित	825 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
29.	ए–21, सेक्टर–बी, अलीगंज, लखनऊ	6000 वर्गफीट	आवासीय	व्यवसायिक
30.	2 / 57, विजय खण्ड, गोमतीनगर	288 वर्गमीटर	आवासीय	नर्सिंग होम
31.	बी–2 / 132, विशाल खण्ड,	293.75 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
32.	बी–4 / 115, से0–4, गोमतीनगर विस्तार योजना	300 वर्गमीटर	आवासीय	कार्यालय
33.	पी0एन0–1 / 758–सी, से0–1, गोमतीनगर	114.27 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
34.	1 / 758–ए, गोमतीनगर विस्तार योजना,	114.97 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
35.	6 / 32, विपुल खण्ड, गोमतीनगर	356.50 वर्गमीटर	आवासीय	शैक्षिक
36.	617 / न्यू–12, उजरियांव, विजय खण्ड–2, गोमतीनगर	373.359 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
37.	एच0डी01 / 186, (पुराना–एच–1 / 186) सेक्टर–आई, जानकीपुरम	0.02 हे0 (200 वर्गमी0)	आवासीय	कार्यालय / बैंक आदि

जे0 एन0 रेड्डी
मुख्य नगर नियोजक

स्वतंत्र चेतना 3.7.16

लखनऊ, 2 जुलाई। प्रदेश में जौनपुर संसदीय क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद के प्रतिनिधि ... अध्यायक अनिल सिंह परिवर्तन की आज संदिग्ध ...रिस्थितियों में गो... लगने से मृत्यु हो गई।

...ा डा. श्यामा प्रसाद ...ौचक निरीक्षण

...को ड्रेसकोड में रहने के निर्देश दिये। चिकित्सालय ...कारी एवं कर्मचारी उपस्थित पाये गये तथा ड्रेस ...तु ज्यादातर चिकित्साधिकारी बिना एप्रेन के पाये ...द आज ही मंत्री ने बाल महिला चिकित्सालय एवं ...नगर का भी निरीक्षण किया। उपस्थित पंजिका का ...रने पर पाया कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ...ल्ट्रासाउण्ड मशीन खराब थी जिसे तत्काल ठीक ...रा दिये। जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियो को ...न न होने के कारण नराजगी जाहिर की। उन्होंने ...सी0आई0यू0सी0डी0 के भी मरीजो की संख्या ...र के निरीक्षण के समय सभी औषधियां व्यवस्थित ...ड चेन रूम एवं टीकाकरण कक्ष भी ठीक पाया ...सीलन थी सीलन को दूर किये जाने हेतु मरम्मत ... निर्देश दिये। उन्होने महिला चिकित्सालय एवं ...नगर के पीछे स्थित सिविल डिस्पेन्सरी के जर्जर ...ाल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कराते हुए 100 ...क्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य तत्काल कराये ... दिये।

...ओं का लाभ पात्र ...ाये: शिवपाल यादव

...ीक्षा, कार्यदायी संस्थाओं को ...मय से पूर्ण करने के निर्देश

...री क्षमता के साथ कार्य करें। उन्होंने सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा के सभी कार्यक्रम पूरी क्षमता के अनुसार पूरे किये जायें। इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों और परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाये। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में आ रही कठिनाई की पूछताछ की। लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री ने इस बैठक में कार्यक्रम वार योजनाओं की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक कार्यक्रम मानक गुणवत्ता के आधार पर बल दिया। लोक निर्माण विभाग के देवकली निरीक्षण गृह में लोक निर्माण मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं की भी एक बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्यक्रमों का फीडबैक लिया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने योजनाओ का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुचाने पर बल दिया। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की निरन्तर समीक्षा की जायें। प्रत्येक कार्यक्रम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुचाने की कार्यवाही की जाये। बैठक में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी सत्येन्द्र नाथ चौधरी, अपर जिलाधिकारीएके सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (...)
टोल फ्री–1800-1800-5000, वेबसाइट http://www.ldalucknow.com

–: आवश्यक सूचना :–

विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों के भूखण्ड (सूची निम्नवत) के नि...रित भू–उपयोग से अन्यत्र भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना और वि...स (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अ...र्गत प्राप्त 37 आवेदनों को प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.2016 में युक्तियुक्त निर्णय ... प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिस पर बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्राप्त आवेदन...ों के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कर उ0प्र0 शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–की धारा–13(1) तथा शासनादेश संख्या–2438/9–आ–3–98–60 एल0यू0सी0/96 दि0 13.10.1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन पर दिये गये सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में यह सूचना जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर तीन प्रतियों में "उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण" को सम्बोधित करते हुये प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में प्राप्त कराये जायेंगे।

क्र0 सं0	ग्राम / योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमी0 / हे0) में	वर्तमान भू–प्रयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	2/4, वास्तु खण्ड, गोमतीनगर	200.00 वर्गमीटर	आवासीय	नर्सिंग होम
2.	3/512, विवेक खण्ड, गोमतीनगर	85.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
3.	1/755, वरदान खण्ड, गोमतीनगर	137.97 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
4.	2/114, विशालखण्ड, गोमतीनगर	309.375 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
5.	1/810, वरदान खण्ड, गोमतीनगर	2152 वर्गफीट	आवासीय	व्यवसायिक
6.	5/18, विशाल खण्ड, गोमतीनगर	425.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
7.	बी–1/83, विक्रान्त खण्ड, गोमतीनगर	360.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
8.	बी–1, साउथ सिटी, रायबरेली रोड	467.41 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
9.	3/122, विवेक खण्ड, गोमतीनगर	405.60 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
10.	ए–1/43, विराट खण्ड, गो0नगर	200.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
11.	1/1, विजय खण्ड, गोमती नगर	–	आवासीय	व्यवसायिक
12.	246, एल्डिको ग्रीन, गोमतीनगर	390.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
13.	3/505, विशाल खण्ड, गोमतीनगर	343.00 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
14.	एन.एस.–2, विनम्र खण्ड, गोमतीनगर	743.77 वर्गमीटर	विद्यालय	व्यवसायिक
15.	ए–1/1ए, सेक्टर–ए, अलीगंज योजना	603.80 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
16.	ए–1/2ए, सेक्टर–ए, अलीगंज योजना	603.86 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
17.	के. 843, सेक्टर–के, आशियाना योजना	179.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
18.	460, विश्वास खण्ड–3, गोमतीनगर, लखनऊ	360 वर्गमीटर	आवासीय	कार्यालय
19.	बी–6, कुर्सी रोड, महानगर विस्तार, निकट गीता वस्त्रालय	729 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
20.	सी–8–45, से0–पी, अलीगंज	2430 वर्गफुट	आवासीय	व्यवसायिक
21.	3/1253, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ	2152 वर्गफिट	आवासीय	व्यवसायिक
22.	सी–24, सेक्टर–सी, अलकापुरी, अलीगंज	1800 वर्गफुट	आवासीय	व्यवसायिक
23.	सी–25, सेक्टर–सी, अलकापुरी, अलीगंज स्ट्रीट एवं सिटी विस्तार	1800 वर्गफिट	आवासीय	व्यवसायिक
24.	4/1, विवेक खण्ड, गोमतीनगर	343.28 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
25.	4/5, 558 विवेक खण्ड, गोमतीनगर	276.40 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
26.	बी–35, सेक्टर–पी, अलीगंज, लखनऊ	3960 वर्गफिट	आवासीय	व्यवसायिक
27.	5/579, विकास खंड, गोमतीनगर	210	आवासीय	व्यवसायिक
28.	ए–21, निरालानगर, लखनऊ 30 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित	825 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
29.	ए–21, सेक्टर–बी, अलीगंज, लखनऊ	6000 वर्गफीट	आवासीय	व्यवसायिक
30.	2/57, विजय खण्ड, गोमतीनगर	288 वर्गमीटर	आवासीय	नर्सिंग होम
31.	बी–2/132, विशाल खण्ड,	293.75 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
32.	बी–4/115, से0–4, गोमतीनगर विस्तार योजना	300 वर्गमीटर	आवासीय	कार्यालय
33.	पी0एन0–1/758–सी, से0–1, गोमतीनगर	114.27 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
34.	1/758–ए, गोमतीनगर विस्तार योजना,	114.97 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
35.	6/32, विपुल खण्ड, गोमतीनगर	356.50 वर्गमीटर	आवासीय	शैक्षिक
36.	617/न्यू–12, उजरियांव, विजय खण्ड–2, गोमतीनगर	373.359 वर्गमीटर	आवासीय	व्यवसायिक
37.	एच0डी01/186, (पुराना–एच–1/186) सेक्टर–आई, जानकीपुरम	0.02 हे0 (200 वर्गमी0)	आवासीय	कार्यालय / बैंक आदि

जे0 एन0 रेड्डी
मुख्य नगर नियोजक

स्वतंत्र चेतना 3.7.16

नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत निर्धारित भू–उपयोग से अन्य भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. श्री अरूण कुमार, सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ–अध्यक्ष।
2. श्री शत्रोहन वैश्य, अपर जिलाधिकारी–भूमि अर्जन–प्रथम।
3. श्री ओ0पी0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,उ0प्र0।
5. श्री जे0 एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक,
6. श्री कमल जीत सिंह, अधि0अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
7. श्री विजय सिंह यादव, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

कार्यवृत्तः

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन का प्राविधान तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के शासनादेश सं0–2281/8–3–14–194 विविध/14, दिनांक 11.12.2014 को प्रस्तुत किया गया।

नियमावली के अन्तर्गत भू–उपयोग प्रस्तर–परिवर्तन की 5–प्रक्रिया (धारा–13)–(1) एवं (2) में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही, प्रक्रिया आदि में (आवेदन, बोर्ड में प्रस्ताव प्रस्तुत करना, आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करना, बोर्ड की सहमति, शुल्कों की गणना, मांग पत्र आदि) का विस्तृत विवरण का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों को दिनांक 06.11.2015 की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय तथा दिनांक 21.06.2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय के क्रम में जन साधारण से आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशन की सूची संलग्नकर समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रकरण पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा उपरोक्त उल्लिखित प्राविधानों/प्रस्तावों पर विचारोपरांत भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नवत् मत स्थिर हुआ:–

1. भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों के भूखण्ड के सम्मुख 12मी0, 18मी0, 24मी0, 30मी0 या इससे अधिक चौडे मार्ग है। यातायात सुविधा, प्रदूषण एवं अतिक्रमण आदि के दृष्टिगत प्रथम चरण में 24 मी0 तथा इससे अधिक चौड़े मार्गो पर ही स्थित भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
2. उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के प्रस्तर–5 भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया (धारा–13) के (2)(ग) एवं (घ) के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् शुल्कों का आंकलन तथा मांग पत्र जारी कर शुल्कों को जमा कराने का प्राविधान है परन्तु समिति का मंतव्य है कि बोर्ड के अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व अग्रिम के रूप में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जाय, ताकि वास्तविक रूप से इच्छुक आवेदकों के भू–परिवर्तन की कार्यवाही उपयोगी सिद्ध हो सके। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सहमति न होने की दशा में आवेदक की जमा धनराशि एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।
3. नियोजित कालोनियों के सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित क्रियाएं जैसे–जिम, हेल्थ सेन्टर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, शिक्षा, बारात घर, अतिथि गृह, [illegible]

अनुसार आवासीय उपयोग से निम्न उपयोग के हैं, इस हेतु परिवर्तन शुल्क का प्राविधान नहीं है परन्तु भवन उपविधि के अध्याय–5 के प्रस्तर–6.9 के अनुसार 25 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड पर नर्सिंग होम (सुविधाएं, सेवाएं तथा उपयोगिताओं) अनुमति हेतु प्रभाव शुल्क की देयता का प्राविधान है। समिति का मंतव्य है कि पूर्व से आवंटित आवासीय उपयोग के भूखण्डों पर बिना अनुमोदन अधिकांश सुविधाएं वर्तमान समय में अर्ध व्यावसायिक के रूप में उपयोग किये जाने के दृष्टिगत उचित होगा कि भूखण्ड की लागत का 25 प्रतिशत (प्रभाव शुल्क के सन्तुल्य) भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क हेतु लिया जाय।

4. भू–उपयोग परिवर्तन के उपरान्त भवन उपविधि या शमन उपविधि के मानकों के अनुरूप मानचित्र की स्वीकृति या नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए। महायोजना तथा भवन उपविधि के अन्तर्गत व्यावसायिक उपयोग के विभिन्न स्तर निर्धारित होने के दृष्टिगत नियोजित कालोनी के आवासीय भूखण्डों की भवन उपविधि के प्रस्तर–3.5.1 के 2 (iii) के अन्य व्यावसायिक उपयोग के मानकों के अन्तर्गत परिवर्तन किये जाने का संस्तुति की जाती है।
5. भू–उपयोग परिवर्तन के पश्चात प्रस्तावित क्रिया हेतु भवन उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार सेटबैक, तलक्षेत्रफल आदि निर्माण में सुनिश्चित होने तथा वाहनों की पार्किंग विशेष रूप से सुनिश्चित होने के पश्चात ही भू–उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति या भवन का विनियमितीकरण पूर्ण माना जायेगा। अशमनीय भाग को प्रत्येक दशा में ध्वस्तीकरण कराया जाना अपेक्षित है।
6. भू–उपयोग परिवर्तन के अन्तर्गत प्रस्तावित की जा रही क्रिया प्रदूषण रहित, ध्वनि प्रदूषण रहित तथा नशीले पदार्थ के विक्रय की दुकान आदि सामाजिक रहन–सहन की प्रतिकूल क्रिया–कलाप अनुमन्य नहीं किये जायेंगे।
7. भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण पर यदि भविष्य में शासन या मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार निर्णय लिया जायेगा तो वह बाध्यकारी होगा।

(विजय सिंह यादव) गैर सरकारी सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	(कमल जीत सिंह) अधिशासी अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।	(जे0 एन0 रेड्डी) मुख्य नगर नियोजक, सदस्य/संयोजक।
(ओ0पी0 मिश्र) मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	(शेर सिंह) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।	(शत्रोहन वैश्य) अपर जिलाधिकारी भूमि अर्जन–प्रथम, लखनऊ।

(अरूण कुमार)
सचिव/अध्यक्ष, समिति
लखनऊ विकास
प्राधिकरण।

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित सूची:– अनुलग्नक – 3 41

क्र0 सं0	ग्राम/ योजना का नाम	खसरा/ प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0/ हे0) में	रोड की चौडाई	वर्तमान भू–उपयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार,	1/सी–816	230 वर्गमीटर	30मी0	आवासीय	व्यवसायिक
2.	विराम खण्ड, गोमती नगर,	1/5	540 वर्गमी0	24मी0	आवासीय	व्यवसायिक
3.	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर,	बी–2/91	300 वर्ग मीटर	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
4.	विशाल खण्ड, गोमती नगर	2/362	293.75 वर्गमीटर	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
5.	सेक्टर–एल अलीगंज,	बी–1/35	279.397 वर्गमीटर	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
6.	सेक्टर–बी, महानगर	बी–339	891.87 वर्गमीटर	30मी0	आवासीय	व्यवसायिक
7.	टी0जी0नार्थ चॉदगंज स्कीम, निरालानगर	बी–184	1088.72 वर्गमीटर	30मी0	आवासीय	व्यवसायिक
8.	से0–डी–1, कानपुर रोड योजना	MD-1/ 340, SS/II/D1/ 874	110.25 वर्गमीटर	24 मी	आवासीय	व्यवसायिक
9.	विशाल खण्ड–4, गोमतीनगर	ए–4/66	540 वर्गमी0	12 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
10.	विनीत खण्ड–1 गोमती नगर	1/1	630.00 वर्ग मी0	24मी0		
11.	विजय खण्ड–1, गो0न0,	1/27	436.50 वर्गमी0	60 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
12.	विनय खण्ड–2, गोमती नगर	2/12	300.00 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
13.	गोमती नगर विस्तार योजना	1/सी–425	282.00 वर्गमी0	18 व 7.50 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
14.	विनित खण्ड, गोमती नगर योजना	1/55 एच	168.46 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
15.	से0–डी, कानपुर रोड योजना	D–3/434	115.50 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
16.	महानगर विस्तार, कुर्सी रोड योजना	बी–1/8	585.50 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
17.	विराट खण्ड, गोमती नगर योजना	2/12	200.00 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
18.	विराज खण्ड, गोमती नगर योजना	1/3	200.00 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
19.	विवेक खण्ड, गोमती नगर योजना	3/113	288.00 वर्गमी0	18 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
20.	सेक्टर–एम, अलीगंज योजना	सी–27	185.87 वर्गमी0	45 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
21.	सेक्टर–एम, अलीगंज योजना	सी–26	185.078 वर्गमी0	45 मी0	आवासीय	व्यवसायिक

	सेक्टर–पी, अलीगंज योजना	बी–36	368.00 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
3.	विनय खण्ड, गोमती नगर योजना	3/41	250.00 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
4.	सेक्टर–पी, अलीगंज योजना	बी–40	453.91 वर्गमी0	24 व 18 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
5.	विराज खण्ड, गोमती नगर योजना	सी–2/7	205.00 वर्गमी0	12 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
26.	सेक्टर–1, गोमती नगर विस्तार योजना	1/बी–500	300.00 वर्गमी0	18 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
27.	श्रजनी खण्ड, शारदा नगर योजना	3/205	200.00 वर्गमी0	12 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
28.	सेक्टर–जी, जानकीपुरम्, योजना	बी–1/292	297.29 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
29.	विपुल खण्ड गोमतीनगर योजना	सी– 4/2	200.00 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
30.	रूचि खण्ड–1, शारदानगर योजना	2/32	288.00 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
31.	विजयन्त खण्ड, गोमती नगर योजना	बी– 3/10,	300.00 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
32.	आशियाना योजना, कानपुर रोड	एम–344,	229.90 वर्गमी0	18 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
33.	विनीत खण्ड, गोमती नगर योजना	4/93	418.00 वर्गमी0	60 व 24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
34.	विपुल खण्ड गोमती नगर, योजना	1/9	300.00 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
35.	विवेक खण्ड, गोमती नगर योजना	2/471	217.42 वर्गमी0	24 व 18 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
36.	विशाल खण्ड, गोमती नगर योजना	4/183	280.78 वर्गमी0	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
37.	विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर योजना	1/181	123.75 वर्गमी0	24 व 24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
38.	गोमतीनगर विस्तार	5/582	114.00 वर्गमी0	60 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
39.	विजय खण्ड गोमती नगर	2/86	807.500 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
40.	विपुल खण्ड गोमती नगर	2/19	540.00 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित सूची:– अनुलग्नक–3 43

क्र0 सं0	ग्राम / योजना का नाम	खसरा / प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमी0 / हे0) में	रोड की चौडाई	वर्तमान भू–प्रयोग	प्रस्तावित भू–उपयोग
1.	विवेक खण्ड, गोमती नगर	3/512	85.40 वर्गमीटर	12मी0	आवासीय	व्यवसायिक
2.	वरदान खण्ड, गोमतीनगर	1/755	137.97 वर्गमीटर	30मी0	आवासीय	व्यवसायिक
3.	विशाल खण्ड, गोमती नगर	2/114	309.375 वर्गमीटर	30मी0	आवासीय	व्यवसायिक
4.	बरदान खण्ड, गोमती नगर	1/810	2152 वर्गफीट	45मी0	आवासीय	व्यवसायिक
5.	विशाल खण्ड, गोमती नगर	5/18	425.00 वर्गमीटर	30व 12मी0	आवासीय	व्यवसायिक
6.	विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर	बी–1/83	360.00 वर्गमीटर	30व 9 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
7.	साऊथ सिटी, रायबरेली रोड	बी–1	467.41 वर्गमीटर	24मी0	आवासीय	व्यवसायिक
8.	विवेक खण्ड, गोमतीनगर	3/122	405.60 वर्गमीटर	18 व 12 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
9.	विराट खण्ड, गो0नगर	ए–1/43	200.00 वर्गमीटर	24मी0	आवासीय	व्यवसायिक
10	विजय खण्ड गोमती नगर	1/1	950 वर्गमी0	45 व 30 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
11	एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर	246	390.40 वर्गमीटर	24मी0	आवासीय	व्यावसायिक
12	विशाल खण्ड, गोमती नगर	3/505	343.00 वर्गमीटर	24मी0	आवासीय	व्यावसायिक
13	सेक्टर–ए, अलीगंज योजना	ए–1/1ए	603.80 वर्गमीटर	24 व 12 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
14	सेक्टर–ए, अलीगंज योजना	ए–1/2ए	603.86 वर्गमीटर	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
15	सेक्टर–के, आशियाना योजना	के. 843	179.40 वर्गमीटर	24 मी0	आवासीय	व्यवसायिक
16	विश्वास खण्ड–3 गोमतीनगर,	460	360 वर्गमी0	30 व 7.50 मी0	आवासीय	कार्यालय
17	कुर्सी रोड, महानगर विस्तार निकट–गीता वस्त्रालय	बी–6,	729 वर्गमी0	24मी0	आवासीय	व्यावसायिक
18	से0–पी, अलीगंज	सी–8–45	2430 वर्गफुट	24 व 12 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
19	जानकीपुरम विस्तार लखनऊ	3/1253	2152 वर्गफिट	24मी0	आवासीय	व्यावसायिक
20	सेक्टर–सी, अलकापुरी, अलीगंज,	सी–24,	1800 वर्गफुट	24मी0	आवासीय	व्यावसायिक
21	सेक्टर–सी, अलकापुरी, अलीगंज,	सी–25,	1800 वर्गफिट	24मी0	आवासीय	व्यावसायिक

	विवेक खण्ड, गोमतीनगर,	4/1	343.28 वर्गमी0	30 व 24मी0	आवासीय	व्यावसायिक
23	विवेकखण्ड, गोमतीनगर	4/5,	276.40 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
24	सेक्टर–पी, अलीगंज, लखनऊ	बी–35	3960 वर्गफिट	24 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
25	विकास खंड	5/579	210	30 व 9 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
26	निराला नगर लखनऊ	ए–21,	825 वर्गमी0	45 व 18 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
27	सेक्टर–बी, अलीगंज, लखनऊ	ए–21	6000 वर्गफीट	24 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
28	विशाल खण्ड	बी–2/132,	293.75 वर्गमी0	30 मी0	आवासीय	व्यावसायिक
29	से0–4, गोमतीनगर विस्तार	4–बी/115,	300 वर्गमी0	18मी0	आवासीय	कार्यालय
30	से0–1, गोमती नगर	पी0एन0–1/758–सी,	114.27 वर्गमी0	30मी0	आवासीय	व्यावसायिक
31	गोमतीनगर विस्तार योजना,	1/758–ए,	114.97 वर्गमी0	30मी0	आवासीय	व्यावसायिक

विषयः भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम उजरियांव के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार 378 वर्गमीटर भूमि को फ्री-होल्ड शुल्क लिये बिना, फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 06.11.2015 को विषय संख्या-14 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ था, जिसमें निम्न निर्णय पारित किये गये है :-

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि सम्बन्धित द्वारा मा0 न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।" प्रस्ताव व निर्णय की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)

2. प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.11.2015 के क्रम में प्रेषित विभागीय पत्र संख्या-997/ए.सी./तह./15 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा श्री नवीन चन्द्रा निवासी ई-3947 राजाजीपुरम लखनऊ को सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

3. तदोपरान्त विभागीय पत्र संख्या-175/ए.सी./तह./2016 दिनांक 29.02.2016 के द्वारा भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा का अनुमन्य प्रतिकर का निर्धारण समक्ष स्तर से कराने के उपरान्त अनुमति अथवा सम्नुल्य भूमि अधिग्रहण के समय भू-उपयोग के अनुरूप दिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड दिनांक 06.11.2015 तथा उच्च प्रबन्धन समूह की बैठक दिनांक 21.01.2016 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार समनुल्य मूल्य की 60 प्रतिशत भूमि विराज खण्ड में 378 वर्गमीटर व्यवसायिक भूमि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय पर सचिव/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.01.2016 को

स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति के क्रम में समायोजित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने के उपरान्त निबन्धन की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग द्वारा की जानी है। तत्क्रम में समायोजित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सहमति से अवगत कराये जाने का पुनः अनुरोध किया गया।

4. उक्त पत्र के क्रम में श्री नवीन चन्द्रा द्वारा प्रेषित दिनांक 18.03.2016 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा निम्न अनुरोध किया गया है :-

> *This has reference to your abovementioned letter offering 378 sq Mt plot of land with commercial land use in Viraj Khand, Lucknow in lieu of may plot of land of area 10 biswa in Vipul Khand, Gomti Nagar Lucknow . In discussions with the Vice Chairman and other officers of LDA, it was mentioned that and land to be offered will be freehold (without any payment requirement). Further, it was stated that the Commercial plots in Viraj Khand have a dimension of 31 X16 sq meter and to maintain symmetry, the balance area of plot would be made available on payment of circle rate of year 2010. Your offer motioned above, does not specify these points, which were mentioned in the meetings.* (संलग्नक-2)

5. श्री नवीन चन्द्रा की भूमि संख्या-1924 ग्राम उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया गया है, उस पर श्री नवीन चन्द्रा का स्वामित्व था, जोकि फ्री-होल्ड भूमि थी। भूमि खसरा सं. 1924 का राजस्व अभिलेखों में कुल क्षेत्रफल 2-16-0-0 दर्ज है, जिसमें से 2-6-0-0 बीघा भूमि का अर्जन उजरियांव आवासीय योजना भाग-3 के अन्तर्गत किया गया है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 15.12.92 व दिनांक 07.12.93 को शासकीय गजट में किया गया है। भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 21.07.99 को घोषित किया गया था। खसरा सं. 1924 मे अवशेष क्षेत्रफल 10 बिसवा भूमि का अर्जन तत्समय नही किया गया था, किन्तु नियोजन की कार्यवाही सम्पूर्ण रकबे को सम्मिलित करते हुये योजना के अन्तर्गत कर दिया गया। उक्त भूमि खसरा संख्या-1924 रकबा 0-10-0-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत वर्ष 2010 में किया जा चुका है श्री नवीन चन्द्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या 4257/एमबी/2004 नवीन चन्द्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण योजित कर दी गई, जिसमें दिनांक 09.09.04 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। इन्हीं तथ्यों के आलोक में ल0वि0प्रा0 बोर्ड द्वारा उपरोक्त अविकसित भूखण्ड के बदले 60

प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय दिनांक 06.11.2015 को लिया गया है। समतुल्य मूल्य के आधार पर देय क्षेत्रफल की गणना अविकसित भूमि के सापेक्ष विकसित भूमि मूल्य के आधार पर की गयी है। अतः उक्त भूखण्ड के बदले 378 वर्गमीटर व्यवसायिक भूमि समायोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

6. श्री नवीन चन्द्रा द्वारा उक्त पत्र में यह उल्लेख किया है कि अर्जित भूमि फ्री-होल्ड थी, के दृष्टिगत किये गये अनुरोध के कम में 378 वर्गमीटर भूमि फ्री-हाल्ड शुल्क लिये बिना, फ्री-होल्ड किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव</u>:-

भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम उजरियांव के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार 378 वर्गमीटर भूमि को फ्री-होल्ड शुल्क लिये बिना, फ्री-होल्ड किये जाने एवं यदि नियोजित भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ता है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की वर्तमान आरक्षित दर तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल का फ्री-होल्ड शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 14

अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किन दशाओं में किया गया। इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु व अर्जित भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम-उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा का अनुमन्य प्रतिकर का निर्धारण समक्ष स्तर से कराने के उपरान्त अनुमति अथवा समतुल्य भूमि अधिग्रहण के

समय भू-उपयोग के अनुरूप दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ, सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित द्वारा मा0 न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15

रिट याचिका संख्या-2889(एम0बी0)/92 में दिनांक 15.12.2008 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुपालन में खसरा संख्या-298 ग्राम-औरंगाबाद खालसा के बढ़े हुए रकबे 2-5-18-0 बीघा भूमि अथवा प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथाप्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 16

उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि खसरा संख्या-1599/4 रकबा 0.076 हे0 भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

Speed Post

From

Sri Navin Chandra

A-48,Vaishali Colony,

Garh Road,Meerut

To

Sri Jitendra Katiyar

Tehsildar(Acquisition)

Lucknow Development Authority

Gomti Nagar

Lucknow

18th March,2016

Dear Sir,

Subject:Your letter no 75/A.C/Teh/2016 dated 29/02/2016

This has reference to your abovementioned letter offering 378 Sq Mt plot of land with commercial land use in Viraj Khand ,lucknow in lieu of my plot of land of area 10 biswa in Vipul Khand ,Gomti Nagar,Lucknow .In discussions with the Vice Chairman and other officers of LDA ,it was mentioned that the land to be offered will be freehold(without any payment requirement).Further ,it was stated that the Commercial plots in Viraj khand have a dimension of 31x16 sq metre and to maintain symmetry ,the balance area of plot would be made available on payment of circle rate of year 2010.Your offer mentioned above ,does not specify these points ,which were mentioned in the meetings.

It is requested that the above points be specified in the offer to enable me to send my acceptance.It is also noted that you are still sending letters to me at my old Lucknow address while I have earlier informed you that all correspondence with me should be done at my Meerut address as mentioned above in the letter.

Yours sincerely

(Navin Chandra)

विषय– श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में स्कूल भूखण्ड का निबंधन निष्पादित होने के पश्चात प्राविधानों के अनुसार पांच वर्ष का समय भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी 2/146एम विशेष खण्ड–2 गोमती नगर लखनऊ द्वारा सचिव जसमीत राखरा को कानपुर रोड योजना सेक्टर–ओ विस्तार में स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 9130 वर्ग मीटर की लीज अनुबन्ध प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया गया, जो निबन्धन कार्यालय में दिनांक 29.3.2010 को पंजीकृत है। अनुबन्ध लीज की शर्त संख्या–8 में निम्न उल्लेख है:–

That the lessee shall raise constructions according to plan duly approved in this regard from the competent authority L.D.A. Lucknow within a period of 5 years from the date of this agreement and after the expiry of the period of 5 years if no construction is made then the levy charges @ 2% per annum of the market value under section 18 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973 shall be charged till five years and if the lessee fails even thereafter to make construction then the lease shall be determined as provided under the said Act.

उक्त अनुबन्ध शर्तो के अनुसार संस्था द्वारा भूखण्ड पर निर्माण नही कराया गया।

2. उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा–29(4–ए) में निम्न प्राविधान है:–

29(4-A) - Where a lessee fails to make construction within the stipulated time, and the extended time, if any under sub-section(4) so that the total period from the date of lease exceeds five years, a charge at the rate of two percent of the prevailing market value of the concerned land shall be realised every year from him by the lessor and if from the date of imposition of the said charge a further period of five years elapses, the lease shall stand forfeited and the lessor shall re-enter upon the land :

Provided that where the period of five years has expired before the commencement of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997, or where the period of five years expires within one year after such

commencement, the charge shall be realizable after a period of one year from the date of such commencement.

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 29.03.2010 को श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में अनुबंध प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जा चुका है। सोसायटी द्वारा स्कूल भूखण्ड के मूल्य की समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है। श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित किया जाना है। लीज डीड निष्पादित किये जाने हेतु जनरल स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सोसायटी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग में प्रस्तुत किया गया है। निष्पादित अनुबंध के दृष्टिगत भवन विभाग द्वारा लेवी की धनराशि की मांग की जा रही है। सोसायटी द्वारा लीज डीड न निष्पादित होने के कारण लेवी न लिये जाने का अनुरोध करते हुये तीन वर्ष के समय की मांग की गयी है।

अतः श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित होने के पश्चात प्राविधानों के अनुसार पांच वर्ष का समय भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एन. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव

विषयः आवासीय उपयोग के भूखण्ड सं0–3/296, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पर बैंक उपयोग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

आख्या :

लखनऊ महायोजना–2021 में दर्शित प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत कुछ अनुषांगिक उपयोग से सम्बन्धित क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु जोनिंग रेगुलेशन के अध्याय–7 के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है परन्तु नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत सृजित भूखण्डों के भू–उपयोग तलपट मानचित्र में दर्शित/आरक्षित कराते हुए विकसित किये जाने के दृष्टिगत निर्धारित उपयोग से अन्य उपयोग की अनुमन्यता इसी अध्याय के प्रस्तर–7.5 में निषिद्ध किया गया है। इस निषिद्धता को सरलीकरण के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पर बोर्ड से सहमति प्राप्त करते हुए शासन के अनुमोदन से आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना सं0–457/8–3–16 –127 विविध/11, दिनांक 08.07.2016 को जारी की गयी है। अधिसूचना द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स् में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड पर अनावासीय क्रियाओं हेतु प्राप्त आवेदनों (मानचित्रों को) जोनिंग रेगुलेशन्स् के मानकों या निर्धारित प्राविधानो, सीमा तथा क्रियाओं पर प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए मानचित्रों को स्वीकृति कराने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत भूखण्ड सं0–3/296, विशाल खण्ड, गोमती नगर योजना के 30 मी0 चौडे मार्ग पर स्थित है। 765 वर्गमी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भूतल पर सुविधा जनक दुकानें तथा प्रथम एवं द्वितीय तल पर बैंक उपयोग व बेसमेन्ट में वाहनों की पार्किंग सहित मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित मानचित्र से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक–2 पर संलग्न है। मानचित्र पर भवन विभाग द्वारा परीक्षण कराते हुए प्रभाव शुल्क को आंकलित कर गठित समिति के समक्ष परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण पर परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नवत संस्तुति की गयी हैः–

समिति का मंतव्य है कि प्रस्तावित मानचित्र में व्यावसायिक तथा बैंक दोनो क्रियाओं के स्थान पर एक ही क्रिया अर्थात व्यावसायिक उपयोग या बैंक उपयोग की अनुमति प्रदान करना उचित होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि योजना आवासीय उपयोग के दृष्टिगत अगल–बगल के भूखण्डों में आवासीय यथा संचालित होने की सम्भावना एवं मूल स्वरूप में परिवर्तन करना उचित न होने के दृष्टिगत आवासीय उपयोग में निर्धारित सेटबैक्स को यथा अनुपालन करना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवासीय उपयोग के उपविधि के मानक प्रस्तावित क्रिया हेतु उपविधि के मानक (भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0) जो भी न्यूनतम (कम) होगा, उनका अनुपालन करते हुए मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करना उचित होगा। प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड में

प्रभाव शुल्क के अन्तर्गत बैंक हेतु प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र उपरोक्तानुसार मंतव्य/मानकों के अनुरूप तथा बेसमेन्ट में प्रस्तावित किये गये वाहनों के प्राविधान, नियमानुसार होने के दृष्टिगत प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए बोर्ड से सहमति प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति एवं निर्गत करने की संस्तुति की जाती है। (छायाप्रति अनुलग्नक-[illegible] पर संलग्न)

गठित समिति द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के क्रम में भूखण्ड सं0-3/296, विशाल खण्ड, गोमती नगर के 765.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में प्रभाव शुल्क प्राप्त करने के अन्तर्गत बैंक अथवा शासनादेशानुसार अनुमन्य श्रेणी की व्यवसायिक गतिविधि/ उपयोग अनुमन्यता हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावित है।

प्रस्ताव :

उपर्युक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत संशोधित जोनिंग रेगुलेशन्स् के अनुसार आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड सं0-3/296, विशाल खण्ड, गोमती नगर पर प्रस्तावित बैंक अथवा शासनादेशानुसार अनुमन्य श्रेणी की व्यवसायिक गतिविधि/ उपयोग को निर्धारित प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए अनुमन्य करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत आवासीय उपयोग के भूखण्डों पर प्रभाव शुल्क लेते हुए आवासीय से अन्य उपयोग की अनुमन्यता के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 16.08.2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्री अजय कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. श्री विजय सिंह यादव, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

नियोजित कालोनियों के अन्तर्गत आवंटित आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु जोनिंग रेगुलेशन्स में किये गय संशोधनों पर प्राधिकरण बोर्ड से सहमति प्राप्त करते हुए शासन से अनुमोदित कराकर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचना सं0–457/8–3–16–127विविध/11, दिनांक 08.07.2016 को जारी किया गया है। अधिसूचना द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स् में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड पर अनावासीय क्रियाओं हेतु प्राप्त आवेदनों (मानचित्रों को) जोनिंग रेगुलेशन्स् के मानकों या निर्धारित प्राविधानो, सीमा तथा क्रियाओं पर प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए मानचित्रों को स्वीकृति कराने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत भूखण्ड सं0–3/296, विशाल खण्ड, गोमती नगर के 765 वर्गमी0 क्षेत्रफल में भूतल पर सुविधा जनक दुकानें तथा प्रथम एवं द्वितीय तल पर बैंक के उपयोग बेसमेन्ट में वाहनों की पार्किंग मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रेषित मानचित्र पर भवन विभाग द्वारा प्रभाव शुल्क को आंकलित कराते हुए गठित समिति के समक्ष मानचित्र परीक्षणार्थ प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूखण्ड मूलरूप से आवासीय उपयोग हेतु आवंटित है। जोनिंग रेगुलशेन्स में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए आवासीय से अन्य उपयोग अनुमन्य किया जा सकता है परन्तु योजना का मूल स्वरूप परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। आवासीय के साथ या बिना आवासीय के एक ही अनुषांगिक अन्य उपयोग आवासीय भूखण्ड पर प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए अनुमन्य किया जाना उचित होगा। एक ही भूखण्ड पर विभिन्न प्रकार की अनावासीय क्रियाओं को अनुनन्य करने पर इसका मूल स्वरूप बिगडने की अशंका है। अतः समिति का मंतव्य है कि प्रस्तावित मानचित्र में व्यावसायिक तथा बैंक के दोनो क्रियाओं के स्थान पर एक ही क्रिया अर्थात व्यावसायिक उपयोग या बैंक उपयोग की अनुमति प्रदान करना उचित होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि योजना आवासीय उपयोग के दृष्टिगत अगल–बगल के भूखण्डों में आवासीय यथा संचालित होने की सम्भावना एवं मूल स्वरूप में परिवर्तन करना उचित न होने के दृष्टिगत आवासीय उपयोग में निर्धारित सेटबैक्स को यथा अनुपालन करना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवासीय उपयोग के उपविधि के मानक प्रस्तावित क्रिया हेतु उपविधि के मानक (भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0) जो भी न्यूनतम (कम) होगा, उसका अनुपालन करते हुए मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करना उचित होगा। प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड में प्रभाव शुल्क के अन्तर्गत बैंक हेतु प्रस्तावित निर्माण के मानचित्र उपरोक्तानुसार मंतव्/मानकों के अनुरूप तथा बेसमेन्ट में प्रस्तावित किये गये वाहनों के प्राविधान नियमानुसार होने के दृष्टिगत प्रभाव शुल्क प्राप्त करते हुए बोर्ड से सहमति प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति एवं निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

(विजय सिंह यादव)
सदस्य,
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(अजय कुमार मिश्र) 16/8/16
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

(सत्येन्द्र सिंह)

अनुलग्नक –2

भूखण्ड सं0–3/296, विशाल खण्ड, व्यवसायिक मानचित्र का संक्षिप्त विवरण

- योजना का नाम – विशाल खण्ड, गोमती नगर
- भूखण्ड का भू–उपयोग – आवासीय
- प्रस्तावित भू–उपयोग – व्यावसायिक/बैंक
  प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार – (भूतल पर व्यावसायिल, प्रथम व द्वितीय तल पर बैंक तथा बेसमेंट व भूतल पर पार्किंग)
- भूखण्ड का क्षेत्रफल – 765.00 वर्गमी0
- पहुँच मार्ग की चौडाई – 30 मी0
- सेटबैक्स –
  - फ्रन्ट – 6 मी0
  - रियर – 8.66 मी0
  - साइड–1 एवं 2 – 3–3 मी0
- बेसमेन्ट क्षेत्रफल (पार्किंग उपयोग हेतु) – 313.35 मी0
- खुला क्षेत्रफल – 422.26 मी0
- प्रस्तावित एफ0ए0आर0 1.51
  कुल तलक्षेत्रफल – 1028.22 वर्गमी0
- भू–आच्छादन – 342.74 वर्गमी0
- प्रस्तावित भवन की ऊँचाई – 11.90 मी0
- पार्किंग – 21 कार पार्किंग (बेसमेन्ट)
- प्रभाव शुल्क – रू0 8793675/–

विषय– **श्रीमती मीनू मिश्रा को रिवर व्यू इन्क्लेव में दिनांक 15.11.2011 को आवंटित फ्लैट का दो वर्ष में कब्जा न दिये जाने की स्थिति में ब्याज के सम्बन्ध में।**

श्रीमती मीनू मिश्रा को रिवर व्यू इन्क्लेव में पेन्टाहाउस संख्या–RV-A/1106 में लॉटरी पद्धति से दिनांक 15.11.2011 को आवंटित किया गया था। फ्लैट का अनुमानित मूल्य रु0 66,00,000/– निर्धारित करते हुये जमा पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि पांच त्रैमासिक किश्तों में जमा किये जाने हेतु आवंटन पत्र निर्गत किया गया था। किश्तें 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाकर निर्धारित की गयी थी। आवंटन पत्र के अनुसार से धनराशि जमा किये जाने की सूचना के फलस्वरूप श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा निम्न प्रकार से धनराशि जमा की गयी :–

क्रम सं0	आवंटन पत्र के अनुसार देय धनराशि	आवंटन पत्र के अनुसार देय तिथि	श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा जमा की गयी धनराशि	श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा जमा की गयी धनराशि का दिनांक
1.	6,60,000.00	15.01.2012	3,30,000.00	14.09.2011 (पंजीकरण धनरशि)
2.	15,09242.00	15.04.2012	6,60,000.00	16.01.2012
3.	15,09242.00	15.07.2012	15,09242.00	23.07.2012
4.	15,09242.00	15.10.2012	21,50,000.00	03.07.2013
5.	15,09242.00	15.01.2013	15,00,000.00	26.07.2013
6.			10,00,000.00	21.11.2013
7.			12,00,000.00	01.08.2014
8.			5,14,480.00	13.12.2014

श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा समय से धनराशि न जमा किये जाने के कारण फ्लैट के मूल्य में वृद्धि एवं ब्याज इत्यादि की धनराशि हेतु रु0 11,30,388.00 दिनांक 31.01.2014 तक जमा करने हेतु सूचित किया गया।

श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दो वर्ष में फ्लैट पूर्ण कर कब्जा दिये जाने का उल्लेख किया गया हैं। मेरे द्वारा फ्लैट के सम्पूर्ण मूल्य की धनराशि दिनांक 21.11.2013 तक रु0 71,49,242.00 जमा की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय दो वर्ष में फ्लैट का कब्जा

न दिये जाने की दशा में किन परिस्थितियों में ब्याज की मांग की जा रही है। आवंटी द्वारा ब्याज न लिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा रु0 88,63,722.00 जमा करने के उपरान्त दिनांक 05.02.2016 को इनके पक्ष में प्राधिकरण द्वारा निबंधन निष्पादित किया जा चुका है।

श्रीमती मीनू मिश्रा का प्रकरण शासन में संदर्भित किया गया था। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार साधारण ब्याज लगाते हुये गणना की गयी। तत्क्रम में की गयी गणना के अनुसार रु0 1,65,559.00 अधिक जमा होने की दशा में धनराशि दिनांक 14.07.2016 को श्रीमती मीनू मिश्रा को वापस की जा चुकी है।

श्रीमती मीनू मिश्रा द्वारा उक्त से सन्तुष्ट न होने के फलस्वरूप निरन्तर इनके द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि पंजीकरण पुस्तिका में फ्लैट का कब्जा दो वर्ष में दिये जाने के दृष्टिगत प्राधिकरण अपनी शर्त पूरी न करने के कारण दो वर्ष के बाद का ब्याज लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत श्रीमती मीनू मिश्रा को दिनांक 15.11.2011 को आवंटित फ्लैट का दो वर्ष अर्थात 15.11.2013 तक फ्लैट का निर्माण पूर्ण न कर कब्जा दिये जाने के दृष्टिगत कोई ब्याज न लिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19.8.16
(अशोक कुमार सिंह)
20 कम्प्यू0

19.08.16
(अनुपम [illegible] सिंह)
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

विषयः भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम उजरियांव के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार 378 वर्गमीटर भूमि को फ्री-होल्ड शुल्क लिये बिना, फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 06.11.2015 को विषय संख्या-14 पर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ था, जिसमें निम्न निर्णय पारित किये गये है :-

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि सम्बन्धित द्वारा मा0 न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।" प्रस्ताव व निर्णय की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)

2. प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 06.11.2015 के क्रम में प्रेषित विभागीय पत्र संख्या-997/ए.सी./तह./15 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा श्री नवीन चन्द्रा निवासी ई-3947 राजाजीपुरम लखनऊ को सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

3. तदोपरान्त विभागीय पत्र संख्या-175/ए.सी./तह./2016 दिनांक 29.02.2016 के द्वारा भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा का अनुमन्य प्रतिकर का निर्धारण समक्ष स्तर से कराने के उपरान्त अनुमति अथवा समतुल्य भूमि अधिग्रहण के समय भू-उपयोग के अनुरूप दिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड दिनांक 06.11.2015 तथा उच्च प्रबन्धन समूह की बैठक दिनांक 21.01.2016 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार समतुल्य मूल्य की 60 प्रतिशत भूमि विराज खण्ड में 378 वर्गमीटर व्यवसायिक भूमि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय पर सचिव/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.01.2016 को

स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति के क्रम में समायोजित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने के उपरान्त निबन्धन की कार्यवाही सम्पत्ति विभाग द्वारा की जानी है। तत्क्रम में समायोजित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सहमति से अवगत कराये जाने का पुनः अनुरोध किया गया।

4. उक्त पत्र के क्रम में श्री नवीन चन्द्रा द्वारा प्रेषित दिनांक 18.03.2016 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा निम्न अनुरोध किया गया है :-

> *This has reference to your abovementioned letter offering 378 sq Mt plot of land with commercial land use in Viraj Khand, Lucknow in lieu of may plot of land of area 10 biswa in Vipul Khand, Gomti Nagar Lucknow . In discussions with the Vice Chairman and other officers of LDA, it was mentioned that and land to be offered will be freehold (without any payment requirement). Further, it was stated that the Commercial plots in Viraj Khand have a dimension of 31 X16 sq meter and to maintain symmetry, the balance area of plot would be made available on payment of circle rate of year 2010. Your offer motioned above, does not specify these points, which were mentioned in the meetings.* (संलग्नक-2)

5. श्री नवीन चन्द्रा की भूमि संख्या-1924 ग्राम उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया गया है, उस पर श्री नवीन चन्द्रा का स्वामित्व था, जोकि फ्री-होल्ड भूमि थी। भूमि खसरा सं. 1924 का राजस्व अभिलेखों में कुल क्षेत्रफल 2-16-0-0 दर्ज है, जिसमें से 2-6-0-0 बीघा भूमि का अर्जन उजरियांव आवासीय योजना भाग-3 के अन्तर्गत किया गया है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 15.12.92 व दिनांक 07.12.93 को शासकीय गजट में किया गया है। भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 21.07.99 को घोषित किया गया था। खसरा सं. 1924 मे अवशेष क्षेत्रफल 10 बिसवा भूमि का अर्जन तत्समय नही किया गया था, किन्तु नियोजन की कार्यवाही सम्पूर्ण रकबे को सम्मिलित करते हुये योजना के अन्तर्गत कर दिया गया। उक्त भूमि खसरा संख्या-1924 रकबा 0-10-0-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत वर्ष 2010 में किया जा चुका है। श्री नवीन चन्द्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय मे रिट याचिका संख्या 4257/एमबी/2004 नवीन चन्द्रा बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण योजित कर दी गई, जिसमें दिनांक 09.09.04 को यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। इन्हीं तथ्यों के आलोक में ल0वि0प्रा0 बोर्ड द्वारा उपरोक्त अविकसित भूखण्ड के बदले 60

प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय दिनांक 06.11.2015 को लिया गया है। समतुल्य मूल्य के आधार पर देय क्षेत्रफल की गणना अविकसित भूमि के सापेक्ष विकसित भूमि मूल्य के आधार पर की गयी है। अत: उक्त भूखण्ड के बदले 378 वर्गमीटर व्यवसायिक भूमि समायोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

6. श्री नवीन चन्द्रा द्वारा उक्त पत्र में यह उल्लेख किया है कि अर्जित भूमि फ्री-होल्ड थी, के दृष्टिगत किये गये अनुरोध के क्रम में 378 वर्गमीटर भूमि फ्री-होल्ड शुल्क लिये बिना, फ्री-होल्ड किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव</u>:-

भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम उजरियांव के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार 378 वर्गमीटर भूमि को फ्री-होल्ड शुल्क लिये बिना, फ्री-होल्ड किये जाने एवं यदि नियोजित भूखण्ड का क्षेत्रफल बढ़ता है तो अतिरिक्त क्षेत्रफल की वर्तमान आरक्षित दर तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल का फ्री-होल्ड शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 14

अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किन दशाओं में किया गया। इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु व अर्जित भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम-उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा का अनुमन्य प्रतिकर का निर्धारण समक्ष स्तर से कराने के उपरान्त अनुमति अथवा समतुल्य भूमि अधिग्रहण के

समय भू-उपयोग के अनुरूप दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित द्वारा मा0 न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15

रिट याचिका संख्या-2889(एम0बी0)/92 में दिनांक 15.12.2008 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुपालन में खसरा संख्या-298 ग्राम-औरंगाबाद खालसा के बढ़े हुए रकबे 2-5-18-0 बीघा भूमि अथवा प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथाप्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 16

उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि खसरा संख्या-1599/4 रकबा 0.076 हे0 भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

Speed Post

49

From

Sri Navin Chandra

A-48,Vaishali Colony,

Garh Road,Meerut

To

Sri Jitendra Katiyar

Tehsildar(Acquisition)

Lucknow Development Authority

Gomti Nagar

Lucknow

18th March,2016

Dear Sir,

Subject:Your letter no 75/A.C/Teh/2016 dated 29/02/2016

This has reference to your abovementioned letter offering 378 Sq Mt plot of land with commercial land use in Viraj Khand ,lucknow in lieu of my plot of land of area 10 biswa in Vipul Khand ,Gomti Nagar,Lucknow .In discussions with the Vice Chairman and other officers of LDA ,it was mentioned that the land to be offered will be freehold(without any payment requirement).Further ,it was stated that the Commercial plots in Viraj khand have a dimension of 31x16 sq metre and to maintain symmetry ,the balance area of plot would be made available on payment of circle rate of year 2010.Your offer mentioned above ,does not specify these points ,which were mentioned in the meetings.

It is requested that the above points be specified in the offer to enable me to send my acceptance.It is also noted that you are still sending letters to me at my old Lucknow address while I have earlier informed you that all correspondence with me should be done at my Meerut address as mentioned above in the letter.

Yours sincerely

(Navin Chandra)

विषय– श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में स्कूल भूखण्ड का निबंधन निष्पादित होने के पश्चात प्राविधानों के अनुसार पांच वर्ष का समय भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी 2/146एम विशेष खण्ड–2 गोमती नगर लखनऊ द्वारा सचिव जसमीत राखरा को कानपुर रोड योजना सेक्टर–ओ विस्तार में स्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 9130 वर्ग मीटर की लीज अनुबन्ध प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया गया, जो निबन्धन कार्यालय में दिनांक 29.3.2010 को पंजीकृत है। अनुबन्ध लीज की शर्त संख्या–8 में निम्न उल्लेख है:–

That the lessee shall raise constructions according to plan duly approved in this regard from the competent authority L.D.A. Lucknow within a period of 5 years from the date of this agreement and after the expiry of the period of 5 years if no construction is made then the levy charges @ 2% per annum of the market value under section 18 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973 shall be charged till five years and if the lessee fails even thereafter to make construction then the lease shall be determined as provided under the said Act.

उक्त अनुबन्ध शर्तो के अनुसार संस्था द्वारा भूखण्ड पर निर्माण नही कराया गया।

2. उत्तर प्रदेश अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा–29(4–ए) में निम्न प्राविधान है:–

29(4-A) - Where a lessee fails to make construction within the stipulated time, and the extended time, if any under sub-section(4) so that the total period from the date of lease exceeds five years, a charge at the rate of two percent of the prevailing market value of the concerned land shall be realised every year from him by the lessor and if from the date of imposition of the said charge a further period of five years elapses, the lease shall stand forfeited and the lessor shall re-enter upon the land :

Provided that where the period of five years has expired before the commencement of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1997, or where the period of five years expires within one year after such

commencement, the charge shall be realizable after a period of one year from the date of such commencement.

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 29.03.2010 को श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में अनुबंध प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जा चुका है। सोसायटी द्वारा स्कूल भूखण्ड के मूल्य की समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है। श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित किया जाना है। लीज डीड निष्पादित किये जाने हेतु जनरल स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सोसायटी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग में प्रस्तुत किया गया है निष्पादित अनुबंध के दृष्टिगत भवन विभाग द्वारा लेवी की धनराशि की मांग की जा रही है। सोसायटी द्वारा लीज डीड न निष्पादित होने के कारण लेवी न लिये जाने का अनुरोध करते हुये तीन वर्ष के समय की मांग की गयी है।

अतः श्री गुरू तेग बहादुर एजूकेशनल कल्चर एण्ड सोसल वेलफेयर सोसाइटी के पक्ष में लीज डीड निष्पादित होने के पश्चात प्राविधानों के अनुसार पांच वर्ष का समय भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(एन. एन. सिंह)
संयुक्त सचिव